

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022

**(Under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the National Green
Tribunal Act, 2010)**

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH

AND ORS.

... RESPONDENTS

INDEX

Sl.	Particulars	Page No.
1.	Common action taken report (fourth report) on behalf of Yamuna Expressway Industrial Development Authority/Respondent No. 10	1 - 33
	1.1. Background of the matter	1
	1.2. Factual background of status of ponds	3
	1.3. Status of the ponds	4
	1.4. Actions taken by YEIDA	6
	<i>i. Against Encroachments</i>	6
	<i>ii. Survey, restoration rejuvenation of ponds</i>	12
	<i>iii. In partnership with community and social organisations</i>	24
	<i>iv. Participation in District Wetland Committee</i>	30
2.	Supporting Affidavit	34-36
3.	Annexure – A1 A copy of the Government of Uttar Pradesh's Gazette Notification No. 1280/77-3-15-03N/01 dated December 18, 2015 and Gazette Notification No. 14/2018/1648/77-3-18-03N/01 dated May 18, 2018 declaring industrial development area falling within jurisdiction of YEIDA	37-40

4.	Annexure – A2 (Colly) Super imposed map and Google Map image showing road constructed by YEIDA without in any manner affecting the pond on Khasra No. 601, Village – Moonjkhera	41-42
5.	Annexure – A3 Copy of letter dated October 07, 2022 from YEIDA to the District Wetland Authority	43-46
6.	Annexure – A4 Copy of the CEO's Office Order dated October 28, 2022 directing survey of ponds.	47
7.	Annexure – A5 A copy of the status report of Tehsildar, Jewar dated December 26, 2022 on the removal of alleged encroachments in District Jewar	48-56
8.	Annexure – A6 A copy of a status report of Tehsildar, Sadar dated December 29, 2022 on removal of alleged encroachments in District Sadar	57-60
9.	Annexure – A7 A copy of the Government Order dated June 03, 2016 bearing reference number 32/744/AK-1-2016-20(5)/2016	61-76
10.	Annexure – A8 A list of the ponds (along with Khasra Number and Area) of which YEIDA has completed the survey.	77-121
11.	Annexure – A9 A list of the ponds (along with Khasra-Number and Area) of which YEIDA is to undertake survey.	122-123
12.	Annexure – A10 The details of the rejuvenation work (including detailed report on the work done) undertaken by YEIDA	124-125
13.	Annexure – A11 The photographs of some of the ponds where the rejuvenation was completed by YEIDA.	126-133
14.	Annexure – A12 The photographs of some of the ponds where YEIDA has developed 'Amrit Sarovar'.	134-135
15.	Annexure – A13 A list with photographs of cleaning and excavation done by YEIDA of 26 ponds.	136-144
16.	Annexure – A14 Copy of MoU dated January 03, 2023 entered between YEIDA and Wheels Global Foundation ('WGF')	145-154
17.	Annexure – A15 YEIDA's CEO letter dated January 09, 2023 addressed to WGF to undertake survey and rejuvenation work	155-156

18.	Annexure – A16 (Colly) YEIDA's office order dated January 19, 2023 and April 03, 2023	157-159
19.	Annexure – A17 True copy of the NoC by YEIDA to Development Alternatives	160
20.	Annexure – A18 True copy of the NoC dated 06 April 2023 by YEIDA to Green Yatra Trust	161
21.	Annexure – A19 A copy of the Office Order dated November 23, 2022 issued by the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar	162
22.	Annexure A-20 A copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated December 12, 2022	163-164
23.	Annexure A-21 A copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated March 15, 2023.	165-167
24.	Proof of Service	168


शुभम पुण्डीर
प्रवक्ता (प्रति) यीडा

RESPONDENT NO. 10/ YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

THROUGH


J. SAGAR ASSOCIATES
ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 10
B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,
HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI 110049
+91-8700925031/+91-9634672416
pranav.tanwar@jsalaw.com/abhay.singh@jsalaw.com

DATE: 12 MARCH 2024

PLACE: NEW DELHI

1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 177 OF 2022
(Under Section 18(1) read with Sections 14 and 15 of the National
Green Tribunal Act, 2010)**

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA ... APPLICANT
VERSUS
STATE OF UTTAR PRADESH
AND ORS. ... RESPONDENTS

**COMMON ACTION TAKEN REPORT (FOURTH REPORT) ON
BEHALF OF YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY/ RESPONDENT NO. 10**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present Original Application (“O.A.”) seeks directions for conservation, management, rejuvenation and removal of alleged encroachment over water bodies/ponds in the District of Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.

Background of the matter:

2. Vide order dated April 08, 2022, this Ld. Tribunal constituted a Joint Committee comprising concerned officers of the state administration and directed the Joint Committee to submit a factual and action taken report in respect of water bodies included in the list annexed to the O.A as Annexure A-6 [pg. 58-111 of the O.A.].

3. On August 04, 2022, the Joint Committee submitted its findings and report dated August 02, 2022 to this Ld. Tribunal (**“Joint Committee Report”**). At the hearing held on September 06, 2022, the Tribunal took note of the Joint Committee Report and observed that:

3.1. The Joint Committee sought reports only from the revenue authorities, and that status of all the ponds were not verified individually;

3.2. There is no mention regarding the measures taken for conservation and restoration of ponds.

Having regard to the facts of the case, this Ld. Tribunal decided to implead Yamuna Expressway Industrial Development Authority (**“YEIDA”**) as well as Uttar Pradesh State Ground Water Department and Greater Noida Industrial Development Authority.

4. After being impleaded, YEIDA, represented by its counsels and higher officials, appeared before this Ld. Tribunal on October 12, 2022, February 08, 2023, October 12, 2023, and January 18, 2024. YEIDA informed the Ld. Tribunal about the proactive measures undertaken by it to conserve, rejuvenate, and restore ponds, within its jurisdiction. Additionally, YEIDA emphasized on the significance of preserving water bodies and expressed its commitment to this cause. YEIDA assured the Ld. Tribunal of its full cooperation and acknowledged the gravity and importance of the proceedings at hand.

5. Vide its orders dated October 12, 2022, February 08, 2023 and October 12, 2023, this Ld. Tribunal directed YEIDA and other authorities to file a reply and action taken report(s). In due compliance with the said orders, YEIDA filed detailed action taken reports on January 11, 2023 (“**First Report**”), May 30, 2023 (“**Second Report**”) and January 15, 2024 (“**Third Report**”). In these reports, YEIDA had submitted:

- 5.1. The status of ponds falling within its jurisdiction;
- 5.2. Information on action taken by it for conservation, rejuvenation, restoration, and removal of alleged encroachments over the water bodies.
- 5.3. In addition to detailed information, YEIDA provided supporting documents and photographs that showcase the concerted efforts undertaken by it.

6. YEIDA is filing the present report (“**Fourth and Common Report**”) in compliance of this Ld. Tribunal’s order dated January 18, 2024.

YEIDA submits that the present report supplements the First, Second and Third Report, and is to be read in conjunction with them.

Factual Background on status of ponds

7. Before providing a detailed action taken report, YEIDA deems it fit to apprise this Ld. Tribunal of some important facts related to the status of ponds falling within its jurisdiction.

8. The present proceedings pertain to the status of ponds of three Tehsils in District Gautam Budh Nagar, namely, Sadar, Jewar, and

Dadri. Of these three Tehsils in Gautam Budh Nagar, YEIDA has jurisdiction only over the portions of land in Sadar and Jewar.

A copy of the Government of Uttar Pradesh's Gazette Notification No. 1280/77-3-15-03N/01 dated December 18, 2015 and Gazette Notification No. 14/2018/1648/77-3-18-03N/01 dated May 18, 2018 declaring industrial development area falling within jurisdiction of YEIDA are annexed herein as **Annexure A-1**.

A. STATUS OF THE PONDS

(a) Tehsil – Sadar

9. Of the total area of Tehsil Sadar, only a part falls within YEIDA's jurisdiction, and the rest falls within the jurisdiction of NOIDA and Greater NOIDA.

Information regarding ponds in Tehsil – Sadar

(a)	Total No. of Ponds in Tehsil Sadar	245
Status of ponds which falls in jurisdiction of YEIDA		
(b)	Total No. of Ponds	69
(c)	Ponds which are encroachment free	61
(d)	Ponds with encroachment (partial/full)	06
(e)	Old/Village <i>abadi</i> (population) exists at site	02

10. 69 ponds in Sadar falls within YEIDA's jurisdiction, of which 61 are encroachment free.

11. The Joint Committee Report notes that a road has been constructed over 02 ponds in Tehsil Sadar. It is submitted that out of these 02 ponds, only 01 pond on Khasra No. 601, Village – Moonjkhera falls

within the jurisdiction of YEIDA. Khasra No. 601 is submerged in water and there currently exists a pond. A road has been constructed by YEIDA without in any manner affecting the pond. This is evident from the super imposed map and Google Map image which are collectively annexed herein as **Annexure A-2 (colly)**.

YEIDA had submitted information in this regard along with the super imposed map to the District Wetland Authority vide a letter dated October 07, 2022. A copy of the letter dated October 07, 2022 is annexed herein as **Annexure A-3**.

(b) Tehsil – Jewar

Information regarding ponds in Tehsil – Jewar

(a)	Total No. of Ponds in Tehsil Jewar	306
Information of ponds which falls in jurisdiction of YEIDA		
(b)	Total No. of Ponds	200
(c)	Ponds which are encroachment free	161
(d)	Ponds with encroachment (partial/full)	20
(e)	Ponds Acquired for Noida International Airport, Jewar	08
(f)	Ponds proposed to be acquired for Noida International Airport in second phase	11

12. There are a total of 306 ponds in Jewar. 200 ponds fall within YEIDA's jurisdiction, of which 161 are encroachment free. YEIDA has acquired land in Jewar for the development of Noida International Airport. In this acquisition, 08 ponds have been acquired for development purpose. YEIDA has taken measures for substitution of these 08 acquired ponds as explained in para 29 below.

- 6
13. The Joint Committee Report mentions that YEIDA has acquired one other pond. However, this is factually wrong as explained and confirmed in the letter dated October 07, 2022 (Annexure - A3). YEIDA has not acquired any pond in Jewar other than 08 ponds for setting up of Noida International Airport.

B. ACTIONS TAKEN BY YEIDA

14. At the outset, it is stated that YEIDA is committed to the cause of ponds conservation. YEIDA's commitment is evident through various actions and initiatives demonstrated below. It regularly maintains and monitors the conditions of the ponds within its jurisdiction.
15. YEIDA also recognizes the significance of the present proceedings. By adhering to the Tribunal's orders and taking substantial measures, YEIDA aims to contribute positively to the preservation of these valuable natural resources.

Against Encroachments

16. It is stated that YEIDA has complied with the orders passed by the Tribunal. YEIDA has taken steps for sustainable management and conservation of the ponds. Taking note of the present proceedings and the orders of the Tribunal, the CEO of YEIDA, vide Office order dated October 28, 2022 ("**Office Order**"), has directed that:
- 16.1. The officers of YEIDA will co-ordinate with District and Revenue Administration for expedite removal of encroachments on ponds in relation to which proceedings

under Section 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (“**U.P. Revenue Code**”) are ongoing.

16.2. A survey will be done for all the ponds falling within YEIDA’s jurisdiction. The survey will record the ponds which are affected by encroachments and necessary measures under the U.P. Revenue Code will be undertaken. After the removal of encroachments, YEIDA will undertake measures for restoration, cleaning and beautification of such ponds.

16.3. Ponds, which are not affected by encroachment, will be cleaned and restored.

It is submitted that YEIDA has already completed the survey of several ponds falling within its jurisdiction, the details of which have been discussed below.

A copy of the CEO’s Office Order dated October 28, 2022 is annexed herein as **Annexure A-4**.

17. It is stated that YEIDA is committed to the conservation, restoration and rejuvenation of water bodies falling within its jurisdiction. The Applicant’s assertion that the acts and omissions of the Respondents are impacting the ecology of the region irreparably is baseless, false and thus, denied.

18. Further, actions related to conservation, restoration, rejuvenation and removal of encroachments over water bodies are undertaken by state departments, wetland committee, district administration and development authorities in coordination with each other.

Procedure for removal of encroachment

8

19. Under Section 54 of the U.P. Revenue Code, all rivers, streams, nallas, lakes, ponds, tanks, canals, water channels, standing and flowing water, except insofar as any rights of any persons may be established in or over the same, are property of the State Government.
20. Section 59(1) of the U.P. Revenue Code provides that the State Government may entrust the things vested with it to a Gram Panchayat or “local authority”. Section 59(2) provides a list of things that are permitted to be entrusted by the State Government. Sub-clause (v) to Section 59(2) includes tanks and ponds in the list of things that can be entrusted by the State Government to a “local authority”.
21. Vide notification dated December 28, 2020, the State of Uttar Pradesh amended Section 59 to include different development authorities, including NOIDA, GNIDA and YEIDA, within the purview of “local authority”.
22. Under Section 67 of the U.P. Revenue Code, if land entrusted with the Gram Panchayat or a local authority is wrongfully occupied or encroached, the following procedure is followed for the removal of encroachment:
 - 22.1. The Bhumi Prabandhak Samiti or other authority or the Lekhpal concerned shall inform the Assistant Collector concerned about such an encroachment.

- 22.2. The Assistant Collector issues a notice to the person concerned to show cause why compensation for encroachment be not recovered from him and why he should not be evicted from such land.
- 22.3. If the person to whom a notice has been issued fails to show cause, the Assistant Collector may direct that such person shall be evicted from the land and may direct that the amount of compensation be recovered from such person.
- 22.4. Any person aggrieved by an order of the Assistant Collector can prefer an appeal to the Collector.
23. Thus, it is the Revenue Authority and the District Administration that have been entrusted with the power to remove encroachments over the water bodies. YEIDA is co-ordinating with the Revenue Authority and the District Administration for removal of any encroachments over ponds falling within its jurisdiction.

Actions taken for removal of alleged encroachments by YEIDA

24. There are 20 ponds in Jewar and 06 ponds in Sadar within YEIDA's jurisdiction affected by encroachments. YEIDA has taken active steps for removal of encroachments with the assistance of District Administration.
25. As per the information received from the Office of Tehsildar, Jewar dated December 26, 2022, the legal proceedings for the removal of 20 encroachments in Jewar under Section 67, Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 are either pending adjudication before the Court of Tehsildar or the Tehsildar has passed an order for removal

of encroachment, and the execution proceedings thereof are pending.

S. No.	Status	No. of ponds
1.	Order for removal of encroachment passed by the Court of Tehsildar, Jewar. Execution proceedings pending.	01
2.	Proceedings for removal of encroachment are pending before the Court of Tehsildar, Jewar	19

A copy of the status report of Tehsildar, Jewar dated December 26, 2022 on the removal of alleged encroachments in District Jewar is annexed herein as **Annexure A-5**.

26. Similarly, the legal proceedings for removal of 06 encroachments in Sadar are pending adjudication before Tehsildar, Sadar.

A copy of a status report of Tehsildar, Sadar dated December 29, 2022 on removal of alleged encroachments in District Sadar is annexed herein as **Annexure A-6**.

27. As and when the final decision is received from Tehsildar, Jewar and Sadar, suitable action will be taken by YEIDA in coordination with the District Administration.

28. Vide its government order dated June 03, 2016, the Uttar Pradesh Government has directed that in case ponds/ water bodies are acquired for development purposes, alternate water bodies of size 25% larger be excavated. A copy of the Government Order dated

June 03, 2016 bearing reference number 32/744/AK-1-2016-20(5)/2016 is annexed herein as **Annexure A-7**.

29. With regards to the substitution of 08 ponds admeasuring 2.1880 hectares acquired for Noida International Airport, YEIDA has excavated 08 artificial ponds admeasuring 6.4115 hectares (293% larger), more than twice the area of the 08 ponds acquired for development purposes, which is far in excess of the area prescribed by the aforesaid government order.

The details of the acquired ponds and the substitution process is given below:

Details of ponds acquired for Noida International Airport				Details of alternate water bodies/ ponds					
S. No.	Village	Gata No.	Area (in Hectares)	S. No.	Village	Khata No.	Gata No.	Area (in Hectares)	Status quo of excavation
1.	Rohi	398	0.0630	1.	Akalpur	239	297	1.3590	1.1730
2.	Rohi	542Kha	0.1900	2.	Falaida Bangar	647	746Kha	2.5630	2.2695
3.	Rohi	598	0.1900	3.	Taquipur Bangar	338	236M	0.0760	0.0760
4.	Rohi	650	0.2400	4.	Taquipur Bangar	336	236M	0.0410	0.0410
5.	Rohi	969	0.0890	5.	Taquipur Bangar	338	237M	0.0250	0.0250
6.	Rohi	652	0.2530	6.	Taquipur Bangar	336	242	1.0120	1.0120
7.	Rohi	837	0.4550	7.	Taquipur Bangar	338	246	1.0050	1.0050

8.	Dayanat Pur	1454	0.7080	8..	Taquipur Bangar	338	277M	0.2020	-
				9.	Taquipur Bangar	336	277M	0.0540	-
				10.	In front of Sector 19 Mirzapur	-	208/3, 212	-	0.8100
		Total area	2.1880 (Hect.)				Total area	6.3370 (Hect.)	6.4115 (Hect.)

Survey, restoration rejuvenation of ponds

30. YEIDA has taken steps for sustainable management and conservation of the ponds within its jurisdiction. Taking note of the present proceedings and the orders of the Tribunal, the CEO of YEIDA, vide Office Order, had directed the officers of YEIDA to co-ordinate with District and Revenue Administration for expedited removal of encroachments. Further, the CEO had directed that a survey be done for all the ponds within YEIDA's jurisdiction. The survey will record the ponds which are affected by encroachments and thereafter, necessary measures under the U.P. Revenue Code will be undertaken. After the removal of encroachments, YEIDA will undertake measures for restoration, cleaning, and beautification of such ponds.

31. In accordance with the CEO's Officer Order, YEIDA has already commenced and completed the survey and rejuvenation of several ponds.

32. YEIDA has completed the ground inspection and survey of the following 159 ponds (Khasra-wise) in 45 villages.

13

S. No.	Village	Number of ponds	Total area (in Ha.)
1.	Bhatta	02	1.846
2.	Parsol	10	3.387
3.	Munjkhera	04	0.878
4.	Salarpur	01	0.4430
5.	Jaganpur Afzalpur	01	0.4427
6.	Gunpura	01	0.3500
7.	Dungapur Reelka	04	4.186
8.	Dankaur Dehat	05	1.3282
9.	Latifpur Bangar	03	0.367
10.	Dhanori	06	5.993
11.	Thasrana	03	1.512
12.	Acheja Bujurg	02	0.658
13.	Mutaina	01	3.5610
14.	Usmanpur	02	0.316
15.	Dyanatpur	05	3.896
16.	Khwajapur	02	1.391
17.	Jewar Bangar	13	3.232
18.	Thora	19	5.387
19.	Ahmadpur Charoli	06	4.363
20.	Neemka	05	4.478
21.	Dyorar	03	1.341
22.	Sabota Mustafabad	05	2.473

23.	Rustampur	01	0.5690
24.	Raunija	04	1.18
25.	Suhedi Mohidinpur	02	0.607
26.	Kadalpur	04	0.96
27.	Kherli Bhav	01	1.2650
28.	Rampur Bangar	01	0.1640
29.	Mirzapur	04	2.769
30.	Niloni Shahpur	02	0.468
31.	Accheypur	03	1.309
32.	Makanpur Bangar	02	0.658
33.	Chandpur	01	0.658
34.	Rampur Bangar	01	0.1770
35.	Pachokra	01	0.2080
36.	Utrawali	06	2.539
37.	Rasulpur Iqbal	01	0.0510
38.	Mohammdpur Jadaun	03	3.516
39.	Dubli	04	1.619
40.	Chawki	01	0.9480
41.	Bhaipur Brahmnan	02	1.492
42.	Kalupura	05	2.542
43.	Makimpur Siwra	01	1.2270
44.	Banwaribas	03	0.581
45.	Mudrah	03	0.872
Total		159	78.2079

A list of the ponds (along with Khasra Number and Area) of which YEIDA has completed the survey is annexed herein as **Annexure A-8.**

33. YEIDA has also issued a roster (team compositions) of the concerned officers to undertake survey of 75 ponds (Khasra-wise) in the following 28 villages:

S. No.	Village	Tehsil	Number of ponds (Khasra wise)
1.	Bhaipur Brahmnan	Jewar	01
2.	Chakveerpura	Jewar	06
3.	Myana	Jewar	02
4.	Akalpura	Jewar	04
5.	Bhikanpura	Jewar	01
6.	Shrabupura	Jewar	05
7.	Takipura	Jewar	01
8.	Rampur Khadar	Sadar	01
9.	Kanupura	Jewar	05
10.	Veerampura	Jewar	06
11.	Bankapura	Jewar	01
12.	Dastampura	Jewar	02
13.	Dhansiya	Jewar	01
14.	Karoli Bangar	Jewar	05
15.	Rasalpura Iqbal	Jewar	01
16.	Utrawali	Jewar	06
17.	Raunija	Jewar	05
18.	Suhedi	Sadar	02

19.	Kadarpur	Sadar	03
20.	Pachokra	Jewar	01
21.	Rampur Bangar	Jewar	01
22.	Raunija	Jewar	05
23.	Kherli	Sadar	02
24.	Mirzapur	Sadar	04
25.	Niloni Shahpura	Sadar	02
26.	Makanpur Bangar	Sadar	02
27.	Chandpura	Sadar	01
28.	Atta Gujran	Sadar	01
Total			75

The survey team comprises of the revenue officers and YEIDA's officers from its projects department.

A list of the ponds (along with Khasra-Number and Area) of which YEIDA is to undertake survey is annexed herein as **Annexure A-9**.

34. Further, 30 ponds in the following 24 villages have been surveyed and rejuvenated by YEIDA:

S. No.	Village	Number of ponds surveyed, and rejuvenation work completed	Budget (in Lakhs)	Nature of work done
1.	Sultanpur	01	64.00	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.38 meters was removed through excavation, and

			boundary work around the pond(s) was completed.
2.	Faleda Bangar	02	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.72-3.10 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
3.	Dhanpura	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.40 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
4.	Siroli Bangar	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.32 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
5.	Rampur Khadar	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.40 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
6.	Anwargarh	01	The Authority removed water

				hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.16 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
7.	Mohammadabad Kheda	02		The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.58 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
8.	Bhaipur	01		The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.80 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
9.	Mehandipur	01		The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.66 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
10.	Kallupura	02	68.08	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.52-2.16 meters was

			removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
11.	Jaunchana	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.22 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
12.	Makshudpur	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.24 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
13.	Bhunna Taga	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.62 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
14.	Muradgarhi	02	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.20-1.18 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.

15.	Myana	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 0.66 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
16.	Akalpur	02	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.72-1.80 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
17.	Bhikanpur	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.10 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
18.	Bhoyra	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 0.78 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
19.	Chak Veerampur	01	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the

				extent of 0.80 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
20.	Moonjkhera	01	2.74	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.50 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
21.	Dhanori Khurd	01	6.26	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.50 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
22.	Dyorar	01	3.38	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.20 meters was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
23.	Ahmadpur Choroli	01	2.28	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 2.28 meters was removed through excavation, and boundary work

				around the pond(s) was completed.
24.	Banwaribas	02	27.21	The Authority removed water hyacinth, dewatering was done, sludge to the extent of 1.00 meter was removed through excavation, and boundary work around the pond(s) was completed.
Total		30	173.95	

22

The details of the rejuvenation work (including detailed report on the work done) undertaken by YEIDA is annexed herein as **Annexure A-10.**

The photographs of some of these ponds where the rejuvenation was completed are annexed herein as **Annexure A-11.**

35. The Government of India has launched “Mission Amrit Sarovar” with an objective to conserve water. The Mission aims at developing/rejuvenating Amrit Sarovar (Pond) in every district of the country.

36. 04 ponds within YEIDA’s jurisdiction have been developed into ‘Amrit Sarovar’. These ponds are situated in Villages Akalpur, Kallupura, Bhikanpur and Rampur Bangar.

The photographs of some of these ponds are annexed herein as **Annexure A-12.**

37. YEIDA intends to undertake rejuvenation efforts for the ponds where survey is complete. Furthermore, YEIDA plans to conduct surveys for additional ponds in the next one year i.e., 2024-2025.

38. In addition, YEIDA has conserved and maintained ponds through restoration and cleaning. Since 2019, YEIDA has restored and cleaned ponds in the following villages of Gautam Budh Nagar:

S. No.	Village	Number of ponds
1.	Kherli Bhav	1
2.	Maksudpur	1
3.	Falaida Bangar	1
4.	Dungarpur Rilka	1
5.	Mutaina	1
6.	Parsaul	2
7.	Thasrana	1
8.	Dugli	2
9.	Mehandipur	1
10.	Chowki	1
11.	Dayantpur	2
12.	Birampur	2
13.	Kureb	2
14.	Nagla Jhanu	1
15.	Nagla Hukam Singh	1
16.	Mayana	1
17.	Akalpur	1

18.	Murad Garhi	1
19.	Mahammadabad Khera	1
20.	Amirpur	1
21.	Latifpur Bhangar	1
Total Ponds		26

A list with photographs of cleaning and excavation done by YEIDA of 26 ponds is annexed herein as **Annexure A-13**.

In partnership with community and social organisations

39. In the previous hearings of the present case, the Ld. Tribunal emphasized on the significance of community participation in conservation of water bodies.
40. The Authority is undertaking some of the work for restoration and rejuvenation in partnership with various NGOs.
41. Pursuant thereto, YEIDA has entered into a memorandum of understanding (“MoU”) with Wheels Global Foundation (“WGF”) on January 03, 2023. WGF is a reputable global NGO dedicated to technology-driven solutions for rural populations in six areas: Water, Healthcare, Energy, Education, Livelihood, and Sustainability.
42. The implementation of the MoU is personally overseen by YEIDA’s senior officials. The scope of this MoU is to implement a pilot project for restoration and revival of water bodies, and holistic community development in villages within the jurisdiction of YEIDA. As per the MoU, YEIDA will constitute dedicated staff for

facilitation, support and periodic reviews of the pilot project. A copy of the MoU is annexed herein as **Annexure A-14**.

43. In accordance with the MoU, the CEO has identified 27 villages where survey and rejuvenation work will be undertaken by WGF. These include 12 villages covered under the “Abhyudaya Composite Schools Scheme” (“ACSS”) (a scheme to upgrade state run schools with quality infrastructure and ensure quality education), as well as 15 other villages. Priority has been given to villages where community centres and “Parishadiya Schools” are available.

44. These 27 villages are as follows:

S. No.	Village	Parishadiya School	ACSS	Community Centre
1.	Tirthali	Yes	Yes	No
2.	Ahmadpur Chiroli	Yes	Yes	Yes
3.	Usmanpur	Yes	Yes	Yes
4.	Jewar Khadar	Yes	Yes	Yes
5.	Jewar Bangar	Yes	Yes	No
6.	Pachokra	Yes	Yes	Yes
7.	Dugarpur Rilkha	Yes	Yes	Yes
8.	Thasrana	Yes	Yes	Yes
9.	Mohamdapur Jadaun	Yes	Yes	Yes

10.	Atta Fatehpur	Yes	Yes	Yes
11.	Dhankor	Yes	Yes	Yes
12.	Bhatta	Yes	Yes	Yes
13.	Salarpur	Yes	No	Yes
14.	Atta Gujran	Yes	No	Yes
15.	Accheypur	Yes	No	Yes
16.	Accheja Bujurg	Yes	No	Yes
17.	Dairy Gujran	Yes	No	Yes
18.	Jhajhar	Yes	No	Yes
19.	Mutaina	Yes	No	Yes
20.	Mirzapur	Yes	No	Yes
21.	Niloni	Yes	No	Yes
22.	Raunija	Yes	No	Yes
23.	Rustampur	Yes	No	Yes
24.	Dubli	Yes	No	Yes
25.	Chowki	Yes	No	Yes
26.	Parsol	Yes	No	Yes
27.	Gunapura	Yes	No	Yes

The CEO's letter dated January 09, 2023 to WGF advising it to undertake aforesaid activity is annexed herein as **Annexure A-15**.

45. In the first phase of the MoU, YEIDA along with WGF has completed the survey of ponds in the following 23 villages:

S. No.	Village	Current status after survey
1.	Mohammadpur Jadaun	Restoration and rejuvenation work in progress
2.	Dubli	Restoration and rejuvenation work in progress
3.	Accheypur	Restoration and rejuvenation work in progress
4.	Rustampur	Restoration and rejuvenation work in progress
5.	Acheja Bujurg	Tenders invited
6.	Dungarpur Reelka	Tenders invited
7.	Salarpur	Tenders invited
8.	Thasrana	Tenders invited
9.	Bhatta	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction
10.	Parsol	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.
11.	Ahmedpur Chorali	Restoration and rejuvenation work in progress
12.	R and R Jewar Bangar	Restoration and rejuvenation work in progress
13.	Jewar Khadar	Restoration and rejuvenation work in progress
14.	Tirthali	Restoration and rejuvenation work in progress
15.	Mirzapur	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.

16.	Pachokra	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.
17.	Jhajjhar	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.
18.	Niloni Shahpur	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.
19.	Raunija	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.
20.	Dankaur	Tenders invited
21.	Usmanpur	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.
22.	Dirni Gujran	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.
23.	Gunpura	Technical and financial vetting done by I.I.T. Currently under Financial and Administrative Sanction.

46. To ensure the effective implementation of the MoU, YEIDA has issued office orders from time to time, forming teams responsible for conducting surveys and rejuvenating ponds. For instance, an office order dated January 19, 2023, constituted 10 teams

comprising Technical Supervisors, Managers, and Nodal Officers to survey ponds in 10 villages: Accheypur, Mohamadpur Jadaun, Dubli, Rustampur, Acheja Bujurg, Dungarpur Rilkha, Thasrana, Salarpur, Chowki, and Mutaina.

47. Similarly, an office order dated April 03, 2023, constituted 17 teams with a similar composition to survey ponds in 17 villages: Usmanpur, Atta Fatehpur, Dhankor, Atta Gujran, Bhatta, Pachokra, Jewar Bangar, Jewar Khadar, Ahmedpur Chowrali, Tirthali, Dairy Gujran, Jhajhar, Mirjapur, Niloni, Raunija, Parsol, and Gunpura.

A true copy of the office orders dated January 19, 2023 and April 03, 2023 are annexed herein as **Annexure A-16 (colly)**.

48. Further, YEIDA plans to conduct surveys for additional ponds in the next one year i.e., 2024-2025.

49. On March 14, 2023, YEIDA issued a No Objection Certificate (“NoC”) to ‘Development Alternatives’, a global organization involved in sustainable development through water resource management. ‘Development Alternatives’ has undertaken the restoration and rejuvenation of a pond in Rampur Bangar village, which includes activities such as fencing, solid waste clearance, removal of aquatic weeds, dewatering, desilting, bunding, and the establishment of a nature-based treatment system. The project is expected to be completed within four months. ‘Development Alternatives’ will also provide training to YEIDA officials for the pond’s maintenance after its rejuvenation. A true copy of the NoC to Development Alternatives is annexed herein as **Annexure A-17**.

50. The Authority has issued No Objection Certificate (NoC) to ICICI Foundation for survey and rejuvenation of ponds in four villages – Accheypur, Chapargarh, Neemka, and Kherli Bhav. ICICI Foundation is an organisation run by ICICI Group. The Foundation is focused to work on inclusive growth through initiatives in identified areas including sustainable livelihood and rural development.

51. The Authority has also issued No Objection Certificate (NoC) to Green Yatra Trust for survey, restoration and rejuvenation of ponds in Village Dhanori.

Green Yatra is a leading environmental NGO in India working towards achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) through water bodies restoration. A true copy of the NoC dated 06 April 2023 to Green Yatra Trust is annexed herein as **Annexure A-18**.

52. It is pertinent to note that YEIDA is also working towards community awareness about ponds conservation. For this, YEIDA has undertaken school programmes and rallies across villages.

Participation in District Wetland Committee

53. Further, in its order dated October 12, 2022, the Tribunal had directed the District Magistrate, Gautam Budh Nagar to convene meetings of the District Wetland Committee with the CEOs of NOIDA, GNIDA and YEIDA as Special Invitees. In compliance with such a direction, the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar vide Office Order dated November 23, 2022

reconstituted the District Wetland Committee and included officers nominated by CEOs of NOIDA, GNIDA and YEIDA in the list of members. A copy of the Office Order dated November 23, 2022 issued by the Office of the District Magistrate, Gautam Budh Nagar is annexed herein as **Annexure A - 19**.

54. In its meeting dated December 12, 2022, the re-constituted District Wetland Committee, after taking into consideration the directions of the Tribunal in the present proceedings, inter alia decided that:

54.1. Steps will be taken to ensure the uniformity of data among different authorities regarding ponds in Gautam Budh Nagar;

54.2. Co-ordinated action will be taken by the Authorities under the applicable laws to remove alleged encroachments over the ponds;

54.3. Year wise Google Images of water bodies will be collated; and,

54.4. Information regarding ponds which are of size 2.25 Hect. or larger be collected and reported to Divisional Forest Officer.

A copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated December 12, 2022 is annexed herein as **Annexure A-20**.

55. Subsequently, the second meeting of the Committee was held on March 15, 2023. During the meeting, the Committee took cognizance of the present proceedings and this Ld. Tribunal's order dated June 01, 2020 in the case of *Lt. Col. Sarvdaman Singh Obroi v. Union of India and others, O.A. No. 325 of 2015*. In its second

meeting, the Committee has agreed to take the following actions for conservation of water bodies:

- 55.1. The District Authority and all development authorities will take necessary measures to provide information regarding the rejuvenation of water bodies to the Forest Department.
- 55.2. Google Imaging of water bodies will be collected and compiled.
- 55.3. Ensure consistency of information across departments and authorities regarding the removal of alleged encroachments.
- 55.4. Local bodies and development authorities will collaborate to ensure the mapping, demarcation, conservation, and undertaking of sustainable actions required for the removal of encroachments.
- 55.5. Ponds affected by development activities will be identified, and appropriate actions will be taken accordingly.
- 55.6. The District Administration will keep the Committee updated on the progress made in the removal of encroachments.

A copy of the minutes of meeting for the District Wetland Committee meeting dated March 15, 2023 is annexed herein as **Annexure A-21**.

56. YEIDA understands the importance of the pond ecosystem in Gautam Budh Nagar and acknowledges its responsibility in their preservation. Basis the actions mentioned above, and the documents annexed herein, it is humbly submitted that YEIDA is committed to safeguarding wetlands and water bodies falling within its

jurisdiction. YEIDA is duly following the present proceedings and
has complied with the orders of this Tribunal.

33

57. It is, therefore, humbly prayed that the Tribunal may graciously be
pleased to take this reply and action taken report on record.



शुभम पुण्डीर
प्रबन्धक (परि०) यीडा

**RESPONDENT NO. 10/ YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL
DEVELOPMENT AUTHORITY**

THROUGH



**J. SAGAR ASSOCIATES
ADVOCATES FOR THE RESPONDENT NO. 10
B-303, 3RD FLOOR, ANSAL PLAZA,
HUDCO PLACE, AUGUST KRANTI MARG
NEW DELHI 110049
+91-8700925031/+91-9634672416
pranav.tanwar@jsalaw.com/abhay.singh@jsalaw.com**

DATE: 12 MARCH 2024

PLACE: NEW DELHI

34

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
Original Application No. 177 OF 2022**

IN THE MATTER OF:

ABHIST KUSUM GUPTA

... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH AND ORS.

... RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, Sh. Shubham Pundeer, S/o Sh. Sarvajeet Singh, aged about 31 years, being the Authorized Representative of Yamuna Expressway Industrial Development Authority, having its office at First Floor, Commercial Complex, P-2, Sector – Omega – I, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201309, presently at New Delhi, do hereby solemnly declare on oath and state as under:

1. I am working as the Manager Project with the Yamuna Expressway Industrial Development Authority. I am well conversant with the facts and circumstance of the instant case, hence, am competent to swear this affidavit.
2. The accompanying action taken report has been drafted under instructions of Yamuna Expressway Industrial Development Authority and I have read and understood the contents of the accompanying action taken report.



35

3. I say that the facts and submissions made therein are true and correct. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT शुभम पुण्डीर
प्रबन्धक (परि०) बीडा


VERIFICATION

I, the deponent abovenamed, do hereby verify that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at New Delhi on this ___ day of March, 2024.

12 MAR 2024

DEPONENT शुभम पुण्डीर
प्रबन्धक (परि०) बीडा



CERTIFIED THAT THE DEPONENT
Sri/Smt./Ks. Shubham Punjira
S/o, W/o Sarvajeet Sahu
R/o..... Ambar Punjira
identified as.....
has signed.....
New Delhi on.....
That the Contents of the Affidavit which have
been read & explained to him are true and
Correct to this knowledge.

33

12 MAR 2024

Notary Public

I identified the deponent who
has signed in my presence.



YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY

(U.P. GOVT. UNDERTAKING)

1st FLOOR, COMMERCIAL COMPLEX, P-2, SECTOR OMEGA-1, GREATER NOIDA
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR. (UTTAR PRADESH)
PHONE : 0120-2395151, FAX 0120-2395150.



CODE NO. :

[REDACTED]

NAME :

SHUBHAM PUNDEER

DESIGNATION :

MANAGER

ADDRESS :

[REDACTED]

[Handwritten Signature]

Sign. of Card Holder



VALID FROM : 01.04.2023
VALID TILL : 31.03.2024

[Handwritten Signature]

Issuing Authority

[Handwritten Signature]
शुभम पुण्डीर
प्रबन्धक (परि०) यीडा

संशोधन सं. सं. 2, 2016 ई. (पृष्ठ 3, 1927-2005 सं. 1)

1	2	3	4
13	गिराही बाग	जंवर	गौतमबुद्धनगर
14	मेहन्दीपुर बाग	जंवर	गौतमबुद्धनगर
15	भाईपुर ब्रह्मनाथ	जंवर	गौतमबुद्धनगर
16	गौहम्मदाबाद छोडा	जंवर	गौतमबुद्धनगर
17	रुस्तामपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
18	चकजलाबाद	जंवर	गौतमबुद्धनगर
19	रौप्रीजा	जंवर	गौतमबुद्धनगर
20	निन्नीती शाहपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
21	गूजरखेड़ा	जंवर	गौतमबुद्धनगर
22	भुनपुरा	जंवर	गौतमबुद्धनगर
23	गुरतफाबाद	जंवर	गौतमबुद्धनगर
24	सातामपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
25	धनपुरा	जंवर	गौतमबुद्धनगर
26	अट्टा गुजरान	जंवर	गौतमबुद्धनगर
27	अंसंगपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
28	गौहम्मदाबाद भूजर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
29	गौहम्मदाबाद	जंवर	गौतमबुद्धनगर
30	ठसराना	जंवर	गौतमबुद्धनगर
31	भट्टा	जंवर	गौतमबुद्धनगर
32	गधुसापुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
33	वेला कला	जंवर	गौतमबुद्धनगर
34	फतेहपुर अट्टा	जंवर	गौतमबुद्धनगर
35	मुताना	जंवर	गौतमबुद्धनगर
36	अट्टापुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
37	नांदपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
38	खरली भाव	जंवर	गौतमबुद्धनगर
39	सुहेंडी मुहीरददीनपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
40	कादरपुर भोजनपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
41	उतरावली	जंवर	गौतमबुद्धनगर
42	गौहम्मदपुर जादान	जंवर	गौतमबुद्धनगर
43	हाजीपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
44	फाजिलपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
45	भकसुखपुर	जंवर	गौतमबुद्धनगर
46	भुन्ना राधा	जंवर	गौतमबुद्धनगर

4.3/9-8

जयपुर प्रकृत संकेत 25 जनवरी 2016 ई० (भाग 2) 1947 पंजीय नवरी

क्र.सं.	ग्राम/पंचायत	जिला	पंचायत
47	कलीपुर गाँव	जयपुर	गीतमपुरा
48	गुनादगाँव	जयपुर	गीतमपुरा
49	सकतीरमपुर	जयपुर	गीतमपुरा
50	आगा	जयपुर	गीतमपुरा
51	आमरपुर	जयपुर	गीतमपुरा
52	श्रीरामपुर	जयपुर	गीतमपुरा
53	साहपुर नगला	जयपुर	गीतमपुरा
54	भुरिया	जयपुर	गीतमपुरा
55	खुपुरा	जयपुर	गीतमपुरा
56	अचोकरा	जयपुर	गीतमपुरा
57	गजगा	सिकन्दराबाद 2700	दुलारबाद
58	अनोखापुर गाँव	सिकन्दराबाद 1000	दुलारबाद
59	भरडीपुरा	सिकन्दराबाद 1450	दुलारबाद
60	मैलागा	सिकन्दराबाद	दुलारबाद
61	खवाजापुर अनोखाबाद एवं कलीरगडी	सिकन्दराबाद	दुलारबाद
62	घोसरी	सिकन्दराबाद 1500	दुलारबाद
63	खसनातपुर	जयपुर	गीतमपुरा
64	गजगा	जयपुर	गीतमपुरा
65	गुलगा	जयपुर	गीतमपुरा
66	आमपुर	जयपुर	गीतमपुरा
67	गीतमपुरा	जयपुर	गीतमपुरा
68	करपुरा	जयपुर	गीतमपुरा
69	जोमिवागा	जयपुर	गीतमपुरा
70	पुनारी	जयपुर 2500	गीतमपुरा 2500
71	झावर	जयपुर 2500	गीतमपुरा
72	रसूलपुर गाँव	सिकन्दराबाद 1600	दुलारबाद
73	साकपुर एवं जयपुर अजयपुर	जयपुर	गीतमपुरा
74	अमरपुर सिरोही	जयपुर	गीतमपुरा
75	खिरासी जयपुर	जयपुर	गीतमपुरा
76	अनावरगढ जयपुर	जयपुर	गीतमपुरा
77	सामपुर जयपुर	जयपुर	गीतमपुरा
78	गजपुर जयपुर	जयपुर	गीतमपुरा
79	लतीफपुर जयपुर	जयपुर	गीतमपुरा
80	लतीफपुर जयपुर	जयपुर	गीतमपुरा

भा.सं. 2
जयपुर जिला
जयपुर

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-3
संख्या-14/2018/1648/77-3-18-03एन/01
लखनऊ: दिनांक 18 मई, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के अन्तर्गत पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (1) के परन्तुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सरकारी अधिसूचना संख्या-1280/77-3-15-03एन/01, दिनांक 18 12 15 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

परोक्ष अधिसूचना में, ग्रामों की सूची में, क्रम संख्या-80 की प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां स्तम्भवार बढा दी जायेगी :-

क्र०स०	ग्राम का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4
81.	दस्तमपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
82.	धनसिया	जेवर	गौतमबुद्धनगर
83.	दयौरा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
84.	भद्रापुर चौरौली	जेवर	गौतमबुद्धनगर
85.	बूकापुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
86.	पारोही	जेवर	गौतमबुद्धनगर
87.	रोही	जेवर	गौतमबुद्धनगर
88.	किशोरपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
89.	मुक्तीमपुर सिवारा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
90.	साबौता मुन्तफाबाद	जेवर	गौतमबुद्धनगर
91.	रामनेर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
92.	बनवारीबास	जेवर	गौतमबुद्धनगर
93.	खवाजपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
94.	धोरा	जेवर	गौतमबुद्धनगर
95.	नीमका शाहजहाँपुर	जेवर	गौतमबुद्धनगर
96.	जेवर बांगर	जेवर	गौतमबुद्धनगर


आज्ञा से,

सीताराम यादव
संयुक्त सचिव।


1. यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी में जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2. इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shassanabdoth.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

Annexure - A2(colly)

ग्राह-सूचि लेखा, तह सदा



Vill- Moonykhara



Annexure - A3



पत्रांक : वाई0ई0आई0डी0ए0/उप महाप्रबंधक (परि0)/2022/866

दिनांक 07/09/2022

सेवा में,

✓ प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव,
जिला वेटलेण्ड समिति,
ई-1, सैक्टर-1, नौएडा
जनपद- गौतमबुद्ध नगर।

विषय :-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अमीष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.04.2022 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा पत्रांक संख्या- YEIDA/GM(Proj)/2022/862 दिनांक 29.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

प्रेषित सूचना के प्रस्तर-ए0 में सदर तहसील की सूचना में क्रम संख्या-05 एवं जेवर तहसील की प्रेषित सूचना के बिन्दु संख्या-05 पर स्थिति निम्नानुसार स्पष्ट की जा रही है:-

Information Regarding Ponds in Tehsil- Sadar

S. No.	Information As Per Revenue Dept.	Information of Ponds falls in YEIDA		
		No. of Ponds	No. of Ponds	
5	Road has been constructed मूंजखेड़ा खसरा संख्या-601 रकबा 0.3410 पोखर के 1/2 भाग पर यमुना एक्सप्रेसवे सड़क बनी हुई है।	2	Road has been constructed	-
				यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत सदर तहसील के ग्राम मूंजखेड़ा के खसरा संख्या-601 पर जलमग्न भूमि/पोखर है जो प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित नहीं है। इस पोखर से लगती हुई प्राधिकरण की 120मीटर सड़क निर्मित है। संलग्न स्थल के सुपरइम्पोज्ड मानचित्र से भी स्पष्ट है कि स्थल पर निर्मित सड़क खसरा संख्या-601 से बाहर है। इस प्रकार प्राधिकरण द्वारा किसी भी पोखर के उपर अथवा उसके भाग पर सड़क निर्मित नहीं की गयी है।

कमश:

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेटर नौएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 - 0120 - 2395153, फॅक्स न0 - 0120 - 2395150



Information Regarding Ponds in Tehsil- Jewar

S. No.	Information As Per Revenue Dept.	Information of Ponds falls in YEIDA			
		No. of Ponds		No. of Ponds	
5	YEIDA Authority Acquisition	01	YEIDA Authority Acquisition	-	जेवर तहसील के अन्तर्गत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में ग्राम बनवारीबाँस के खसरा संख्या-16 पर जलमग्न भूमि/पोखर दर्ज है, जिसके आंशिक भाग पर हुए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाये जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के माध्यम से धारा-67 की कार्यवाही कराते हुए मौके पर चिन्हांकन उपरान्त उनको हटाये जाने की कार्यवाही की जानी है।

कृपया उपरोक्त सूचना का समावेश पूर्व प्रेषित सूचना कार्यालय पत्रांक संख्या-YEIDA/GM(Proj)/2022/862 दिनांक 29.09.2022 में करते हुए अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करे।

संलग्नक:- 02 पृष्ठों में।

(के0के0 सिंह)

महाप्रबन्धक (परि0)

प्रतिलिपि:-


1. स्टाफ ऑफिसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(आर0) महोदय को सूचनार्थ।
3. उप जिलाधिकारी (सदर/जेवर) को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (परि0) को सूचनार्थ।
5. उप निदेशक (उद्यान) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महाप्रबन्धक (परि0)

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, सेक्टर ओमेगा-1, ग्रेंटर नोएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 - 0120 - 2395153, फैक्स न0 - 0120 - 2395150

ग्राम-भूखंड, तहसिल





बनवाड़ीवास, जेवर तहसील



Plot Info

खाता संख्या : 00093
 खसरा संख्या : 16मि
 क्षेत्रफल(हे.) : 0.063
 खाता संख्या : 00099
 खसरा संख्या : 16मि
 क्षेत्रफल(हे.) : 0.063

खातेदार का नाम
 00093

1 :- नाम : पोखर

संरक्षक का नाम: 00

निवास स्थान : 00

खातेदार का नाम
 00099

1 :- नाम : होली का

दहन संरक्षक का नाम:

निवास स्थान :

प्लॉट नं. 141 गौतम बुद्ध नगर, तहसील : 00744 जेवर, गाँव : 12040

यह प्रति मात्र जानकारी के लिए है। २. इसका न्यायालय में साक्ष्य के

रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ३. भू-नक्शा की प्रमाणित प्रति के लिए कृपया जनपदीय

Annexure - A4



पत्रांक- वाई.ई.आई.डी.ए. / मु0का0आ0 / G.M.(PROJ) / 2022/871

दिनांक: 28/10/2022

कार्यालय आदेश

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली, द्वारा ओ.ए. संख्या-177/2022 अभिष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 व दिनांक 12.10.2022 के अनुपालन में निम्न कार्यवाही की जानी है:-

1. जिला वेटलैंड समिति की संयुक्त आख्या के अनुसार प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र (96 ग्राम, जहाँ ग्राम पंचायत नहीं है) में तालाबों के सम्बन्ध में जहाँ भी अतिक्रमण से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज है, ऐसे प्रकरणों पर मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों एव की जा रही कार्यवाही का अनुश्रवण किया जाये एवं अतिक्रमण हटाने में जिला प्रशासन को सहयोग दिया जाये।
2. प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र (96 ग्राम, जहाँ ग्राम पंचायत नहीं है) में स्थित तालाबों का सर्वे 02 माह में किया जाये और जहाँ भी अतिक्रमण पाया जाता है, उन सभी प्रकरणों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अनुसार सक्षम न्यायालय में वाद दर्ज कराया जाये। तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के उपरान्त तालाबों की खुदाई व सौंदर्यीकरण की कार्यवाही का चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।
3. जो तालाब अतिक्रमण से मुक्त है, उन तालाबों की खुदाई व सौंदर्यीकरण की कार्यवाही का चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।

उक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही परियोजना विभाग व भूलेख विभाग द्वारा की जायेगी, जिसका अनुश्रवण विशेष कार्याधिकारी (भूलेख) एवं महाप्रबन्धक (परियोजना) द्वारा किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होगा।

भवदीय

(डा0 अरुणवीर सिंह)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एम0/आर0) को सूचनार्थ प्रेषित।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस.के.एस/एस.एस.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्रथम तल, कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी-2, रोड-ओपेन-1, प्लॉट नं0 201/308

Annexure - A5

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1-	JEWAR	मुन्नातगा	BHUNNATAGA.	197	0.9170	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली के आदेश पारित किए गये। नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जा रही है।	टी2017112771032358 ग्राम समा बनाम गोपाल 11.09.2021	-	के0के शर्मा	यमुना प्रा0
2	JEWAR	म्याना	MAYANA	338	1.1000	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	मकान, शनिदेव व देवी मन्दिर बना है।	-	के0के शर्मा	यमुना प्रा0
3	JEWAR	म्याना	MAYANA	710	0.3410	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	के0के शर्मा	यमुना प्रा0
4	JEWAR	रन्हेरा	RANHERA	580	0.6320	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	नोएडा एयरपोर्ट के अन्तर्गत द्वितीय चरण में पुनर्गठित किया जाना प्रस्तावित है।	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	JEWAR	रन्हेरा	RANHERA	970	2.8960	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में 02/02/2010 तारीख 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बैदखली कार्यवाही हेतु बाद विचारधीन है। यथार्थ शीर्ष प्रत्यक्षता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अर्ह अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी। 2017112771033430 ग्राम सभा बनाम रोहताब, 2017112771033423 ग्राम सभा बनाम निरंजन, 2017112771033425 ग्राम सभा बनाम धर्मवीर, 2017112771033424 ग्राम सभा बनाम विजयपाल सिंह, 2017112771033510 ग्राम सभा बनाम रतन सिंह, 2017112771033431 ग्राम सभा बनाम महीपाल, 2017112771033612 ग्राम सभा बनाम हरपाल, 2017112771033613 ग्राम सभा बनाम सूखा, 2017112771033432 ग्राम सभा बनाम चन्दर सिंह, 2017112771033429 ग्राम सभा बनाम सुने सिंह विचारधीन है। टी2017112771033427 ग्राम सभा बनाम हरपाल 25.03.2021, टी2017112771033428 ग्राम सभा बनाम जगदीश, 25.03.2021 टी2017112771033428 ग्राम सभा बनाम गजेन्द्र 26.03.2021 बैदखली के आदेश पारित	नोएडा एयरपोर्ट के अन्तर्गत द्वितीय चरण में पुनर्गठित किया जाना प्रस्तावित है।	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 28.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company /PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	JEWAR	रन्हेरा	RANHERA	972	1.0240	पोखर	आंशिक भाग पर स्थायी कच्चा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत वेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	नोएडा एयरपोर्ट के अन्तर्गत द्वितीय चरण में पुनर्गठित किया जाना प्रस्तावित है।	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0
7	JEWAR	मोहम्मदाबाद खेडा	MOHAMMDABA AD KHEDA	293	0.3160	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कच्चा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत वेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032228 ग्राम सभा बनाम विरजू, 2017112771032229 ग्राम सभा बनाम राजू, 2017112771032222 ग्राम सभा बनाम हरपाल 2017112771032227 ग्राम सभा बनाम ग्यासी 2017112771032228 ग्राम सभा बनाम नितार आदि विचारधीन है। टी2017112771032223 ग्राम सभा बनाम धर्मवीर 25.03.2021, टी2017112771032230 ग्राम सभा बनाम रामपाल 25.03.2021 टी2017112771032224 ग्राम सभा बनाम वेद सिंह आदि 25.03.2021 वेदखली के आदेश पारित	-	विकास शर्मा	यमुना प्रा0

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नही स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अनुमति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	JEWAR	मोहम्मदाबाद खेडा	MOHAMMDABA AD KHEDA	297	0.3350	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में च0प्र0 रा0सहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032802 ग्राम समा बनाम श्यामवीर 2017112771032803 ग्राम समा बनाम जुनेन्द वाद विचारधीन है। टी2017112771032801 ग्राम समा बनाम वीरपाल आदि 23.04 2021 बेदखली आदेश पारित	-	विकास शर्मा	यमुना प्रा0
9	JEWAR	अहमदपुर चौरोली	AHAMDPUR CHOROLI	883	1.0620	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में च0प्र0 रा0सहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	प्रदीप कुमार	यमुना प्रा0
10	JEWAR	साबौता मुस्तफाबाद	SABOTA MUSTFABAAD	212	1.6380	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में च0प्र0 रा0सहिता 2006 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	कालीधरन	यमुना प्रा0



तहसीलदार
जेवर

(Handwritten signatures)

उपजिलाधिकारी
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण। दि0 26.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	JEWAR	थोरा	THORA	733	0.9870	तालाब	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथारोच शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032707 ग्राम सभा बनाम श्यामली, 2017112771032703 ग्राम सभा बनाम चन्द्रपाल वाद विचारधीन है। टी2017112771032533 ग्राम सभा बनाम रवि 11.09.2021 बेदखली के आदेश पारित	-	विजयपाल सिंह	यमुना प्रा0
12	JEWAR	भाईपुर ब्रह्मनाथ	BHAJPUR BHARMNAAN	320	0.9480	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथारोच शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032351 ग्राम सभा बनाम सुरधी आदि, 2017112771033133 ग्राम सभा बनाम विजय आदि, 202211270305454 ग्राम सभा बनाम मनोज वाद विचारधीन है। टी2017112771032352 ग्राम सभा बनाम महेन्द्र 14.05.2022 बेदखली के आदेश पारित	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0
13	JEWAR	तिरथली	TIRTHALI	135	0.0760	तालाब	आंशिक भाग स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथारोच शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032356 ग्राम सभा बनाम श्रीमती आबादी	-	पवन कुमार दूबे	यमुना प्रा0

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 28.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	नैतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14	JEWAR	फलेदा बागर	FALEDA BANGER	269	0.8470	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771032561 ग्राम सभा बनाम सुगड	-	प्रत्युष पाठक	यमुना प्रा0
15	JEWAR	दयौरार	DAYORAAR	299	0.6070	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	राजवीर शर्मा	यमुना प्रा0
16	JEWAR	जेवर बागर	JEWAR BANGER	273	0.0630	पोखर	आंशिक स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 87 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	नरेन्द्र कुमार	यमुना प्रा0

(Handwritten signatures and initials)

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	JEWAR	खाजपुर	KHAJPUR	198	1.2650	पोखर	आंशिक चांग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में 2020 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु याद विधायीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुप्तदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	नरेन्द्र कुमार	यमुना प्रा0

97

Post
my

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	JEWAR	नीमका शहजहापुर	NEEMKA SHANJHAPUR	214	2.3650	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय तहसीलदार जेवर में उ0प्र0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथागीच शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अधि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	2017112771033592 ग्राम सभा बनाम ब्रजमोहन, 2017112771033585 ग्राम सभा बनाम महेश, 2017112771033584 ग्राम सभा बनाम राकेश, 2017112771033583 ग्राम सभा बनाम जितेन्द्र आदि, 2017112771033582 ग्राम सभा बनाम रामेन्द्र, 2017112771033586 ग्राम सभा बनाम रिशीपाल, 2017112771033589 ग्राम सभा बनाम महीपाल, 2017112771033590 ग्राम सभा बनाम राजकुमार, 2017112771033586 ग्राम सभा बनाम भगवत, 2017112771033581 ग्राम सभा बनाम जयपाल, 2017112771033587 ग्राम सभा बनाम रवीराम, 2017112771033580 ग्राम सभा बनाम कस्तू आदि वाद विचारधीन है। टी20171127710335891 ग्राम सभा बनाम पूरा 27.02.2021 बेवखाली को आदेश पारित	-	नरेन्द्र कुमार	यमुना प्रा0

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

उप जिलाधिकारी, जेवर कार्यालय के पत्रांक 328/रा0नि0कार्या0/2022 दिनांक 10.10.2022 के द्वारा संशोधित कुल 293 तालाब/पोखरों की भौतिक सत्यापन एवं कृत कार्यवाही के विवरण/सूची के अनुसार यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्रा0 के अन्तर्गत पड़ने वाले अतिक्रमित तालाबों/पोखरों का विवरण।

दि0 26.12.2022

क्र0 स0	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	Name of Village (English)	Khasra No.	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नही स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company / PSU	भौतिक सत्यापनकर्ता लेखपाल का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
19	JEWAR	बनवारीवास	BANWARIBASH	47	0.3160	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय सहसिलदार जेवर में उ0प्रा0 रा0संहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	-	-	नवीन कुमार	यमुना प्रा0
20	JEWAR	बनवारीवास	BANWARIBASH	99	0.2020	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाकर स्थायी कब्जा।	न्यायालय सहसिलदार जेवर में उ0प्रा0 रा0संहिता 2006 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है। यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी।	ग्राम की पुरानी आवादी है।	-	नवीन कुमार	यमुना प्रा0

- कुल तालाब/पोखर- 200
- अतिक्रमण रद्दित- 161
- अतिक्रमित (आंशिक/पूर्ण)- 20
- नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अन्तर्गत अधिग्रहीत- 08
- नौएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (द्वितीय फेज) के अन्तर्गत प्रस्तावित- 11

तहसीलदार
जेवर

उपजिलाधिकारी
जेवर

Annexure - A6

talab 245 aut




Date 29.12.2022

तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	दनकोर देहात		744	0.0632	पोखर	सफूक	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
2	सदर	दनकोर देहात		1143ख	0.1301	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
3	सदर	दनकोर देहात		1258	0.0885	पोखर	मन्दिर व धर्मशाला बने हैं।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
4	सदर	दनकोर देहात		201/1912	0.2151	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
5	सदर	दनकोर देहात		1577/1919	0.8223	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
6	सदर	जगनपुर अफजलपुर		290/305	0.4427	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
7	सदर	भट्टा गूजरान		269	0.0760	पोखर/कुण्ड	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
8	सदर	गुनुपुप		205	0.3500	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
9	सदर	सालारपुर		578	0.4430	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
10	सदर	गुंजखंडा		84	0.0630	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
11	सदर	गुंजखंडा		488	0.2840	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
12	सदर	गुंजखंडा		601	0.3410	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
13	सदर	गुंजखंडा		686	0.1900	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
14	सदर	धनौरी		238/1789	0.1010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
15	सदर	धनौरी		241क	2.3390	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
16	सदर	धनौरी		474	0.3290	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
17	सदर	धनौरी		636	1.1130	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
18	सदर	धनौरी		1088	0.2780	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
19	सदर	धनौरी		241ख	1.8330	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
20	सदर	धनौरी		89ग	0.2310	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
21	सदर	धनौरी		91	0.1010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
22	सदर	धनौरी		230	0.2620	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
23	सदर	धनौरी		80	0.1010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
24	सदर	धनौरी		90	0.1200	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
25	सदर	धनौरी		104क	0.0900	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
26	सदर	धनौरी		217	0.1260	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
27	सदर	धनौरी		89ख	0.1390	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण

GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA
GNIDA

C:\Users\sadar\Desktop\tehsil sadar talab 245dami-1 (2)

तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	सदर	दुंगरपुर रौलका		395	0.7970	पोखर	आंशिक बाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक में 07/09/2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है यथारीच शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा मुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अधि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी	-	यमुना विकास प्राधिकरण
29	सदर	दुंगरपुर रौलका		514	0.4610	पोखर	जे०पी० बाउन्डी के अन्दर है।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
30	सदर	दुंगरपुर रौलका		515	1.0120	पोखर	जे०पी० बाउन्डी के अन्दर है।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
31	सदर	दुंगरपुर रौलका		535	1.8960	पोखर	जे०पी० बाउन्डी के अन्दर है।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
32	सदर	रामपुर बागर		457	0.1640	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
33	सदर	अच्छेजा बुजुर्ग		227	0.4610	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
34	सदर	अच्छेजा बुजुर्ग		244	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
35	सदर	मकनुपर बगर		211	0.0890	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
36	सदर	मकनुपर बगर		213	0.5690	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
37	सदर	रामपुर खादर		364/447	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
38	सदर	कादरपुर		299	0.2020	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
39	सदर	कादरपुर		300ख	0.1260	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
40	सदर	कादरपुर		312	0.3410	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
41	सदर	मिर्जापुर		125मि	0.1320	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
42	सदर	मिर्जापुर		344	0.0630	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
43	सदर	मिर्जापुर		578	0.2530	पोखर	आंशिक बाग पर यमुना एक्सप्रेसवे द्वारा सड़क निर्माण।	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
44	सदर	मिर्जापुर		601	2.3010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
45	सदर	गौतमी साहपुर		1125	0.2910	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
46	सदर	गौतमी साहपुर		1205	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण


C:\Users\sadar\Desktop\tehsil sadar talab 245dam-1 (2)

(Handwritten signatures and initials)

तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	सदर	उसराना		62	0.0510	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
48	सदर	उसराना		339	0.1330	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
49	सदर	उसराना		451	1.3280	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक में उग्र राउसहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
50	सदर	उस्मानपुर		188	0.1390	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
51	सदर	उस्मानपुर		463	0.1770	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
52	सदर	भट्टा		382	1.6070	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक में उग्र राउसहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
53	सदर	भट्टा		182	1.2390	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
54	सदर	चौदपुर		214	0.6580	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
55	सदर	पारसील		382क	0.1140	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
58	सदर	पारसील		383ख	0.2780	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
57	सदर	पारसील		417	0.7340	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
58	सदर	पारसील		428	0.0780	पोखर	स्थाई कब्जा पक्की धर्मशाला	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक में उग्र राउसहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली कार्यवाही हेतु वाद विचारधीन है यथाशीघ्र शीर्ष प्राथमिकता पर न्यायालय द्वारा गुणदोष के आधार पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त नियमानुसार अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जायेगी	-	यमुना विकास प्राधिकरण
59	सदर	पारसील		502	0.0630	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
60	सदर	पारसील		668	0.0780	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
61	सदर	पारसील		687क	0.2020	पोखर	आंशिक भाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/तहसीलदार न्यायिक में उग्र राउसहिता 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
62	सदर	पारसील		724	0.0440	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
63	सदर	पारसील		730	1.3280	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
64	सदर	पारसील		1374	0.0830	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण

C:\Users\sadar\Desktop\tehsil sadar talab 245dam-1 (2)



तालाब/पोखरों के संबंध में भौतिक सत्यापन आख्या की सूचना तहसील सदर, गौतमबुद्धनगर।

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	गाटा संख्या	रकबा	तालाब का नाम	अतिक्रमण है, या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	सदर	पारसील		1380	0.1880	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
66	सदर	पारसील		1422	0.4430	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
67	सदर	मुठना		164	3.5810	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
68	सदर	आछेपुर		257	0.6640	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
69	सदर	आछेपुर		339	0.3540	पोखर	अतिरिक्त भाग पर कब्जा	न्यायालय तहसीलदार/छहसीलदार न्यायिक में उत्पन्न राहतसहित 2008 की धारा 67 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा चुकी है।	-	यमुना विकास प्राधिकरण
70	सदर	आछेपुर		401	0.2910	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
71	सदर	खेरली बाब		606	0.2910	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
72	सदर	खेरली बाब		1013मि	1.2850	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
73	सदर	लठीफपर बांगर		32	0.3180	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
74	सदर	लठीफपर बांगर		208ख	0.0380	पोखर	बांध में व सड़क में	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
75	सदर	लठीफपर बांगर		340ख	0.0130	पोखर	बांध में व सड़क में	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
76	सदर	सुहेलीमोउददीनपुर		263	0.5080	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण
77	सदर	सुहेलीमोउददीनपुर		299	0.1010	पोखर	नहीं	-	-	यमुना विकास प्राधिकरण

Note

08 Nos of Chachula falls under GNIDA

Total Nos of YEIDA 77-8 = 69 Nos.

[Handwritten signatures and initials]

Annexure - A7⁶¹

संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016

प्रेषक,

सुरेश चन्दा,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 03 जून, 2016

विषय:- ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों के पुनर्गठन एवं विनियम हेतु सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण।

महोदय,

प्रदेश में जमींदारी समाप्ति के बाद खातों के बाहर की भूमि/वस्तुएं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन ग्राम सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित कर दी गयी थी। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सम्पत्तियों वस्तुतः उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अधीन राज्य सरकार में निहित सम्पत्तियां थीं, जिन्हें मात्र प्रबन्धन के लिए गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित किया गया था। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 को निरसित कर दिया गया है।

2. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (1) में व्यवस्था है कि राज्य सरकार विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण को उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसी समस्त या कोई चीजें सौंप सकती है जो राज्य सरकार में निहित हों। उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (3) में व्यवस्था है कि ऐसी प्रत्येक भूमि या अन्य चीज (वस्तुएं), जो उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के उपबन्धों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित हो, इस संहिता द्वारा निरसित किसी अधिनियम के अधीन किसी ग्राम पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रभार के अधीन रखी गयी हो, इस संहिता के प्रारम्भ होने के पूर्व या उसके पश्चात् किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के कब्जे में अन्यथा, आयी हो, उसे इस संहिता के उपबन्धों के अनुसार अधीक्षण, संरक्षण, प्रबन्धन और नियंत्रण के प्रयोजनार्थ

Sec. 59 (1) → ग्राम सभा को प्रबन्धन By राज्य स.
59 (4) → " " " वापस राज्य सरकार में
(पुनर्गठन)

-2-

इन संहिता के पारम्भ होने के दिनांक से या उसके इस प्रकार कब्जे में आने के दिनांक से, यथास्थिति ऐसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में सौंपा हुआ समझा जायेगा। स्थानीय निकाय को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो तत्समय ग्राम पंचायत को प्राप्त रहे हो। ग्राम पंचायत या स्थानीय निकाय को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 से शासित भूमि को किसी अन्य रीति/प्रकार से व्यवस्थित करने का अधिकार नहीं होगा।

3. ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (क) में व्यवस्था है कि उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किसी पूर्ववर्ती आदेश में परिवर्द्धन/संशोधन/परिवर्तन या उसे निरस्त कर सकती है और धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार किसी ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण को सौंपी गई या सौंपी हुई समझी गयी या अन्तर्गत की गई किसी भूमि या अन्य चीज को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर जैसी कि विहित की जाय, वापस ले सकती है अर्थात् किसी भी समय ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण किया जा सकता है। पुनर्ग्रहण के बाद भूमि राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में आ जाती है और उसका उपयोग कृषि से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है। सीलिंग में प्राप्त भूमि भी कृषि प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 27 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 126 की उपधारा (1) में विहित वरीयता क्रम के अनुसार कलेक्टर द्वारा आवंटित की जा सकती है और कृषि से भिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 की धारा 25 तथा 27 (2) के अधीन उपलब्ध करायी जा सकती है। इसी प्रकार अन्य सरकारी भूमि भी कृषि तथा उससे भिन्न प्रयोजनों के लिए गर्वनमेंट ग्राण्ट्स एक्ट, 1895 के अधीन पट्टे पर देकर उपलब्ध करायी जा सकती है।

4. ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त भूमि का पात्र व्यक्तियों में आवंटन तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों और निजी प्रयोजनों/उद्योगों के निमित्त भूमि उपलब्ध कराये जाने में सामन्जस्य होना अत्यन्त आवश्यक है। गांव सभाओं/स्थानीय प्राधिकारियों में निहित सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि के उपयोग की प्राथमिकताओं के निमित्त पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों/अधिसूचनाओं को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल निम्नलिखित भावी पथ प्रदर्षन्तर्था सामान्य सिद्धान्त निर्धारित करने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

4(1)(क) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में

-3-

-3-

प्राप्त तथा अन्य सरकारी कृषि योग्य भूमि का उपयोग विभिन्न अधिनियमों में वर्णित क्रमानुसार केवल पात्र व्यक्तियों के आवंटन तक ही सीमित रखा जायेगा। इस प्रकार की भूमि सिद्धान्ततः अधिनियम की प्राथमिकताओं में आने वाले पात्र व्यक्तियों को ही दी जायेगी, क्योंकि भूमि सुधार कानूनों के अभिप्राय के अनुसार उपलब्ध कृषि योग्य भूमि पर सर्वप्रथम अधिकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों तथा समाज के निर्बल वर्गों के व्यक्तियों का ही है।

- (ख) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त एवं अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षित की जायेगी।
- (ग) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि यदि भूमिहीनों में आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए आरक्षण के बाद भी शेष बचती है, तो ऐसी कृषि अयोग्य भूमि केवल राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उपलब्ध करायी जायेगी। भारत सरकार के विभागों अथवा राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों की आवश्यकता से तात्पर्य विभागों के कार्यालय, विभागों के अन्तर्गत ऐसे प्रतिष्ठानों, जिनमें सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंश पूंजी लगी हो, के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने से होगा। राज्य सरकार के सेवारत विभागों को भूमि निःशुल्क दी जायेगी और राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना प्रचलित बाजार मूल्य या जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट जो अधिक हो, के अनुसार देय होगी। भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्ग्रहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया राजकोष में लेखा शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियाँ-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियाँ" के नाम जमा कराया जायेगा।
- (घ) यदि ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि पात्र व्यक्तियों की आवंटन और ग्राम वासियों की सामान्य

उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए ही पर्याप्त हो. तो राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की

-4-

-4-

आवश्यकता की पूर्ति हेतु अर्जन की कार्यवाही के माध्यम से भूमि की व्यवस्था की जायेगी। यह प्रतिबन्ध सड़क, नहर तथा नलकूप आदि के निर्माण के लिए लागू न होगा, क्योंकि प्रश्नगत योजनाएं क्षैतिज में अर्थात् 180 डिग्री पर चलती हैं और उनके लिए उपर्युक्त प्रतिबन्ध लगाने से उनके कार्यान्वयन में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। इसी प्रकार यह प्रतिबन्ध ऐसे क्षेत्रों के लिए भी लागू नहीं होगा जहाँ ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894/भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत भू-अर्जन हेतु अधिसूचित क्षेत्र के बीच में पड़ती हो।

- (ड) जहां तक राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों को भूमि देने में पारस्परिक वरीयता का प्रश्न है, सेवारत विभागों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी तथा अन्य दशा में उस विभाग को वरीयता दी जायेगी जिसके द्वारा पहले भूमि की मांग की गयी हो।
- (च) निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उसी दशा में उपलब्ध करायी जायेगी, जब भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को आवंटन, ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता एवं ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए भूमि आरक्षण और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध कराने के वाद भी शेष रहती हो। निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास की आवश्यकता के लिए भूमि सर्वाधिकार सहित देने के वजाय पट्टे पर एक निर्धारित अवधि के लिए दी जायेगी।
- (ख) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय को भूमि निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों को भूमि ⁽²⁾ निःशुल्क एवं सर्वाधिकार सहित दी जायेगी। केवल निजी क्षेत्र को भूमि, मूल्य लेकर ⁽³⁾ 30 वर्ष के लिए पट्टे पर (भूमिधरी अधिकार नहीं) दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30-30 वर्ष के पट्टे का

M. Jimp →

लगीनीकरण किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।

(ज) भूमि को पुनर्गृहीत किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना अनिवार्य होगा कि वह

-5-

-5-

वस्तुतः ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है।

- (झ) ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्गृहण हेतु भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव आवश्यक होगा। भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव का यथोचित आदर किया जाना आवश्यक होगा और जब तक कोई विशेष कारण न हो, समिति के प्रस्ताव के विपरीत भूमि का पुनर्गृहण नहीं किया जायेगा।
- (ट) आसामी तथा लाइसेन्सदार के अध्यासन वाली भूमि का पुनर्गृहण नहीं किया जा सकेगा। पुनर्गृहण के पूर्व यह भी देख लेना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित भूमि पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा-76 की उपधारा (1) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को सीरदार/असंकमणीय अधिकार वाले भूमिधर के अधिकार तो नहीं मिल गये हैं। यदि हा, तो उस भूमि का पुनर्गृहण न होगा बल्कि यथा नियम भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही अमल में लानी होगी।
- (ठ) पुनर्गृहीत की गयी भूमि पर ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किये गये विकास कार्य के लिए उन्हें उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 के उप नियम (3) के अनुसार प्रतिकर देय होगा।
- (ड) ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्गृहण जिसके लिए किया जा रहा है, उसकी प्रास्थिति के बारे में स्थिति संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा स्पष्ट की जायेगी अर्थात् भूमि का पुनर्गृहण जिसके लिए किया जा रहा है, वह राज्य सरकार का सेवारत या वाणिज्यिक विभाग है या भारत सरकार का विभाग है या निजी क्षेत्र है।
- (ढ) नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु भूमि निःशुल्क पुनर्गृहण कर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखी जायेगी जो भारत सरकार को भूमि के हस्तान्तरण हेतु पृथक से यथाआवश्यक आदेश जारी करेंगे।
- (ण) शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों की संस्तुति पर ही जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा भूमि का पुनर्गृहण किया जायेगा और पुनर्गृहीत भूमि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों के निवर्तन पर रखी जायेगी जो उसके हस्तान्तरण हेतु पृथक से आवश्यक आदेश जारी करेंगे।

- (त) भूमि की कीमत तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिये जाने के बाद ही पुनर्गृहीत/विनिमय की गयी भूमि का कब्जा पशासकीय विभागों को दिया जायेगा।
- (थ) पशासकीय विभाग को पुनर्गृहीत भूमि की आवश्यकता न होने की दशा में प्राथमिकता के आधार पर राजस्व विभाग को वापस किया जायेगा तथा निर्धारित

-6-

-6-

प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

- (द) मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी के कार्यालय में पुनर्गृहण की गयी भूमियों/वस्तुओं का विवरण क्रमबद्ध रूप में उपलब्ध रहना अत्यन्त आवश्यक है। इस हेतु कार्यालयों में आकार-पत्र-3 में एक रजिस्टर रखा जायेगा और प्रत्येक पुनर्गृहण का आदेश उसमें अंकित होने तथा सम्वन्धित अधिकारी के उस पर हस्ताक्षर करने के बाद निर्गत किया जायेगा।
- (ध) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्गृहण आदेशों तथा त्रुटियों के निराकरण हेतु मानक आकार पत्र-1 संलग्न है। संलग्न मानक आकार पत्र-1 के आधार पर ही पुनर्गृहण के आदेश जारी किये जायेंगे।
- (न) जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा पुनर्गृहीत की गयी भूमि का विवरण संलग्न आकार पत्र-2 एवं 3 में षट्मासिक रूप से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी तथा 15 जुलाई को भेजा जायेगा, जिसे संकलित कर आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा शासन को प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी व 31 जुलाई को भेजा जायेगा।
- (प) आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद द्वारा राजस्व परिषद के अधिकारियों के दौरों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्गृहण कार्य मण्डल व जिला स्तर पर शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन हो रहा है। संलग्न आकार पत्र-2 में षट्मासिक विवरण-पत्र परिषद के माध्यम से शासन को यथा समय प्राप्त होते रहें।

4(2) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के सेवारत विभाग हेतु अपेक्षित हों, संबंधित जनपदों के कलेक्टर को प्रत्यायोजित किया गया है।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार के सेवारत विभागों हेतु उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं का निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही संबंधित जनपदों के कलेक्टर द्वारा की जायेगी।

4(3) राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-741/एक-1-2016-20(5)/2016. दिनांक

-7-

-7-

03 जून, 2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) में वर्णित ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं को वापस लेने की उक्त अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य शक्ति उन दशाओं में जहाँ यह फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड-5 के भाग-1 के परिशिष्ट 9 में उल्लिखित, राज्य सरकार के किसी वाणिज्यिक विभाग के लिए या जहाँ वह भारत सरकार के किसी विभाग के लिए अपेक्षित हों, रूपये 40 लाख की वस्तुओं हेतु संबंधित जनपदों के कलेक्टरों तथा रूपये 40 लाख से अधिक की वस्तुओं हेतु मण्डलायुक्तों को प्रत्यायोजित किया गया है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) के अधीन धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के निःशुल्क पुनर्ग्रहण कर उपलब्ध कराने की कार्यवाही कलेक्टर तथा मण्डलायुक्त द्वारा की जायेगी।

4(4) उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (दो), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की शक्ति शासन में निहित होगी। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट सभी या किन्हीं वस्तुओं के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी।

4(5) उपरिलिखित प्रस्तर-4 (1) में विहित सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों तथा भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ संबंधित जिलाधिकारी को अपने हस्ताक्षर से इस आशय का पमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम के समस्त पात्र व्यक्तियों की भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम वासियों की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है। इसी प्रकार निजी उद्योगों/निजी कम्पनियों/निजी संस्थाओं/न्यास को ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित, सीलिंग में प्राप्त तथा अन्य सरकारी भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित

जिलाधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र देना होगा कि संबंधित ग्राम में समस्त पात्र व्यक्तियों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है तथा ग्राम की सामान्य उपयोगिता तथा ग्राम के सुनियोजित विकास के लिए अपेक्षित भूमि आरक्षित की जा चुकी है और राज्य सरकार के सेवारत/वाणिज्यिक विभागों एवं भारत सरकार के विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है अथवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

-8-

-8-

4(6) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव जिलाधिकारी के हस्ताक्षर से जनपद, तहसील, परगना, ग्राम, गाटा संख्या, रकबा (हेक्टेअर में) एवं भूमि की श्रेणी/प्रकृति का उल्लेख करते हुए संगत अभिलेखों, अपेक्षित प्रमाण-पत्रों एवं स्पष्ट संस्तुति सहित शासन के संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से राजस्व अनुभाग-1 को भेजे जायेंगे। पुनर्ग्रहण के प्रस्ताव हेतु ऐसी भूमि का चयन न किया जाय जो हिन्चलाल तिवारी बनाम कमला देवी व अन्य तथा अन्य सदृश्य वादों में मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय के वाध्यकारी आदेश या किसी मा० न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित हो।

5. जब विकास की बड़ी योजनाओं/कार्यों हेतु भूमि का बड़ा क्षेत्रफल क्रय/अधिग्रहण किया जाता है, तो उसके मध्य उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियां, जिसमें भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, यथा-चकरोड, चकमार्ग, रास्ता, नाली, नाला, खलिहान, होलिका स्थल, खाद के गड्ढे, पशुचर, हडावर, शमशान स्थल व तालाब /पोखर आदि भी स्वाभाविक रूप से आते हैं। इसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का कार्य तो बाधित होता ही है साथ ही ग्रामीणों को असुविधा भी होती है। इस संबंध में ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित सार्वजनिक प्रयोजन हेतु सुरक्षित श्रेणी की भूमियों के शासन स्तर पर पुनर्ग्रहण/विनिमय या किसी लोक उपयोगिता की भूमि की श्रेणी अपवादात्मक प्रकरणों में परिवर्तन पर विचार किये जाने हेतु निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है:-

5(1) राज्य सरकार के सेवारत विभागों, नवोदय विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि दिये जाने की व्यवस्था है। अतएव पुनर्ग्रहीत की जाने वाली भूमि के बराबर ही उसी ग्राम पंचायत की सामान्य भूमि (सार्वजनिक उपयोग की नहीं) उसी सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित करते हुए पुनर्ग्रहण एवं विनिमय किया जायेगा।

5(2) राज्य सरकार के वाणिज्यिक विभागों, भारत सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र को भूमि विनिमय के माध्यम से उपलब्ध करायी जाय अर्थात् संस्था द्वारा उसी ग्राम पंचायत में अवस्थित योजना की अपने स्वामित्व की भूमि से ग्राम पंचायत की भूमि का विनिमय किया जायेगा। यदि

श्री. व. ल. म. र. 2
चौमण्डल
(संशोधन)
(110)
6.7.2020

स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। कलेक्टर द्वारा सार्वजनिक उपयोग की भूमियों को हरे रंग से तथा संस्था की भूमि को लाल रंग से गाटा संख्या, रकबा, भूमि की श्रेणी/प्रकृति, दोनों भूमियों के मध्य दूरी, सम्पर्क मार्ग तथा दोनों भूमियों से संबंधित एक रंगीन मानचित्र अलग-अलग रंगों से प्रदर्शित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

5(3) किसी संस्था द्वारा क्रय/अधिग्रहीत भूमि से घिरे ऐसे चकरोड, रास्ता, नाली, नाला इत्यादि

-9-

-9-

की भूमि, जो संस्था की बाउन्ड्री के अन्दर ही आरम्भ एवं समाप्त होते हैं अर्थात् जिनकी कोई सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, का सःशुल्क पुनर्ग्रहण कर नियमानुसार संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(4) ऐसे चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि जो संस्था की बाउन्ड्री के अंदर से होते हुए उसकी बाउन्ड्री के बाहर भी जाते हैं जिसके कारण ये सार्वजनिक उपयोग में आने योग्य हैं, का पुनर्ग्रहण सामान्यतया न किया जाय। यदि संस्था सुरक्षा आदि के कारणों से उसका पुनर्ग्रहण चाहती है, तो इससे पूर्व संस्था से उनकी बाउन्ड्री के किनारे उनके स्वामित्व की भूमि से सार्वजनिक प्रयोग हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के उपरान्त ही उनकी बाउन्ड्री के अंदर आने वाले चकरोड/चकमार्ग/रास्ता/नाली/नाला इत्यादि भूमियों को विनिमय द्वारा संस्था को उपलब्ध करा दिया जाय जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है, तो क्रय/अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। यह विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के आधार पर होगा। संस्था की भूमि से विनिमय किये जाने पर भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा।

5(5) क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत की ऐसी अन्य सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियों, जिसमें भूमिधरी अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं यथा-पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गडढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर इत्यादि जिनकी सार्वजनिक उपयोगिता तो है, किन्तु संस्था के बड़े क्षेत्रफल के अंदर आ जाने के कारण इसका सार्वजनिक प्रयोग असुविधाजनक हो गया है, को पुनर्ग्रहण करने के लिये संस्था द्वारा उन सार्वजनिक उपयोग की भूमियों के बंदले उतनी ही भूमि उसी ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में अवस्थित अपने स्वामित्व की भूमि से ऐसे स्थल पर विकल्प के रूप में उपयोगिता के आधार पर विनिमय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका ग्रामवासी सुविधाजनक ढंग से सार्वजनिक प्रयोग कर सकें। यदि स्वामित्व में भूमि नहीं है तो क्रय या अर्जन या अन्य प्रकार से प्राप्त कर विनिमय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। विनिमय क्षेत्रफल के आधार पर न होकर उपयोगिता के

आधार पर होगा। यदि जिलाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र दिया जाता है कि क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य स्थित सार्वजनिक उपयोग की सुरक्षित श्रेणी की भूमियाँ यथा-पशुचर, खलिहान, हडावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि की वर्तमान में सार्वजनिक उपयोगिता नहीं रह गयी है, तो ऐसी भूमियों का श्रेणी परिवर्तन कर सःशुल्क पुनर्ग्रहण संस्था को उपलब्ध करा दिया जायेगा। लोक प्रयोजन भूमि के श्रेणी परिवर्तन का मूल्य भी देय होगा।

5(6) मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001 हिचलाल तिवारी बनाम

-10-

-10-

कमला देवी व अन्य सिविल अपील संख्या-1132/2011 जगपाल सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य तथा मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-38910/2013 इकबाल अहमद व अन्य बनाम डी0डी0सी0 देवरिया व अन्य में पारित आदेश के क्रम में तालाब/पोखर/घौला तथा अन्य जल प्रणालियों इत्यादि की भूमि का पुनर्ग्रहण नहीं किया जा सकता है। उक्त निर्देश पर्यावरण की सुरक्षा तथा भौगोलिक पारिस्थितिकी को बनाये रखने के दृष्टिगत दिये गये हैं। यदि विकास की बड़ी परियोजनाओं हेतु क्रय/अधिग्रहीत भूमि के मध्य तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि आती है, तो उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण के बिना विकास की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण नहीं हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त भूमियों के पुनर्ग्रहण की कार्यवाही पर इस प्रतिबन्ध के अधीन विचार किया जा सकेगा कि संस्था द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुरूप तालाब/पोखर/घौला आदि के प्राकृतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे बल्कि पूर्व की भाँति तालाब/पोखर/घौला आदि का प्राकृतिक स्वरूप एवं जल संचयन की क्षमता तथा नैसर्गिक जल प्रवाह को यथावत् बनाये रखना भी सुनिश्चित करेंगे। यदि संस्था सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से ऐसा कर पाने में सक्षम न हो तो ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था द्वारा विद्यमान क्षेत्रफल से 25 प्रतिशत अधिक अर्थात् 125 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तालाब की खुदाई करा करके उसे गहरा बनाना सुनिश्चित करेगी। जिलाधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खुदाई किये जाने वाले तालाब में वर्षा का अधिकाधिक जल का संचयन हो सके ताकि ग्राम वासियों द्वारा तालाब में संचित जल का समुचित उपयोग किया जा सके। उक्त व्यवस्था सुनिश्चित होने के उपरान्त ही तालाब/पोखर/घौला आदि की भूमि विनिमय के द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था द्वारा ग्राम वासियों की उपयोगिता के आधार पर तालाब/पोखर/घौला आदि की वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की दशा में संस्था से भूमि का मूल्य नहीं लिया जायेगा। संबंधित प्रशासनिक विभाग तथा कलेक्टर तालाब/पोखर/घौला आदि की उपयोगिता के आधार पर समतुल्य वैकल्पिक व्यवस्था से संतुष्ट होने के उपरान्त ही भूमि का कब्जा संस्था को हस्तान्तरित करेंगे। यह कार्यवाही 30 दिन में अनिवार्य रूप से पूर्ण की जायेगी ताकि ग्राम

भूमियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सम्बन्धित कलेक्टर द्वारा उपयोगिता के आधार पर वैकल्पिक व्यवस्था की पूर्ण सूचना तथा जाँच रिपोर्ट संबंधित प्रशासकीय विभाग, आयुक्त एवं मजिस्ट्रेट, राजस्व परिषद तथा राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को 45 दिन में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5(7) कविस्तान, शमसान तथा धार्मिक स्थलों का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा और यदि ऐसी भूमि पुनर्ग्रहीत भूमि की सीमा के भीतर आती हो, तो संस्था द्वारा इसके सार्वजनिक प्रयोग हेतु संपर्क मार्ग दिया जायेगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उनमें से किसी एक का पुनर्ग्रहण

-11-

-11-

अनिवार्य हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था करना तथा यह देख लेना आवश्यक होगा कि ऐसी भूमियों के पुनर्ग्रहण से किसी धार्मिक उत्तेजना की आशंका तो नहीं है। यदि हाँ, तो ऐसी वस्तु या वस्तुओं का पुनर्ग्रहण नहीं किया जायेगा।

5(8) ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का संस्था की भूमि से विनिमय की अनुमति शासन द्वारा दी जायेगी। अतः उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन कलेक्टर द्वारा विनिमय का प्रस्ताव संगत अभिलेखों एवं रंगीन मानचित्र के साथ शासन के सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को प्रेषित किये जायेंगे। प्रशासकीय विभाग विनिमय के प्रस्ताव पर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करायेंगे।

5(9) जनपद/मण्डल/शासन स्तर पर भूमि के पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत होने से पूर्व प्रस्तावित भूमियों पर संस्था द्वारा निर्माण कार्य आदि प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। अतएव कलेक्टर यह सुनिश्चित करेंगे कि जब तक प्रस्तावित भूमि का पुनर्ग्रहण आदेश कलेक्टर/मण्डलायुक्त या शासन स्तर से निर्गत नहीं हो जाता है, तब तक प्रस्तावित भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य/कब्जा आदि न होने पाये। यदि बिना पुनर्ग्रहण आदेश निर्गत हुए प्रस्तावित भूमि पर कोई निर्माण कार्य/कब्जा आदि किया जाता है, तो इसके लिए सम्बन्धित कलेक्टर स्वयं उत्तरदायी होंगे।

5(10) सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बदले शासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक व्यवस्था तथा अन्य निर्धारित सभी शर्तों का अनुपालन कलेक्टर द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

5(11) आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में आवासीय समस्याओं के निराकरण हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त उच्च गुणवत्ता की जीवन पद्धति वाले आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु निजी पूँजी निवेश के माध्यम से विकसित की जा रही हाइटेक टाउनशिप/इण्टीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीतियाँ निर्धारित की गयी हैं। टाउनशिप के विकास हेतु चयनित स्थल के अन्तर्गत ग्राम पंचायत

स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित भूमि भी स्वाभाविक रूप से आती है। प्रस्तावित टाउनशिप का एकीकृत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से टाउनशिप के अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण आवश्यक होता है।

आवासीय टाउनशिप के विकास हेतु ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों को पुनर्ग्रहीत कर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए संबंधित विकास प्राधिकरण को आवासीय नीतियों के प्रयोजनार्थ उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि संबंधित विकासकर्ता को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी और विकासकर्ता का उक्त भूमि तृतीय पक्ष के लिए

-12-

-12-

हस्तान्तरित करने की जाएगी और इस हेतु शासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद/संबंधित जिलाधिकारी के माध्यम से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित है, तो तृतीय पक्ष को विना पुनर्ग्रहण आदेश के हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा। हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप परियोजना के अन्तर्गत पड़ने वाली ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों का पुनर्ग्रहण हाईटेक टाउनशिप/इंटीग्रेटेड टाउनशिप/न्यू टाउनशिप की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि 60 दिन में पूर्ण कर ली जाय। ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमियों/वस्तुओं के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव कलेक्टर द्वारा समस्त अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। आवास एवं शहरी नियोजन द्वारा 15 दिन के अन्दर परीक्षणोपरान्त स्पष्ट सन्तुष्टि/सहमति सहित प्रस्ताव राजस्व विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

5(12) प्रदेश में विद्युत एवं अवस्थापना विकास के सुदृढीकरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेन्द्रों क्षमता 33/11 के.वी. के साथ अन्य विभव के विद्युत उपकेन्द्रों यथा-132 के.वी., 220 के.वी., 400 के.वी. एवं 765 के.वी. की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (1) में वर्णित भूमियों यथा-चकरोड, रास्ता, नाली, नाला, पशुचर, खलिहान, हड़ावर, खाद के गड्ढे, होलिका स्थल, विद्यालय, पंचायत घर आदि (वह भूमि जिसमें भूमिधारी अधिकार उत्पन्न नहीं होते) से अग्रज्जादित भूमि को छोड़कर उपलब्धता के आधार पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (तीन) तथा (चार) में निर्दिष्ट भूमि को 01 रूपये प्रति एकड़ सांकेतिक मूल्य दर पर 30 वर्ष के लिए पट्टे पर जिसे बाद में 30-30 वर्ष पर प्रशासनिक विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए उनके अनुरोधानुसार 90 वर्ष के पट्टे पर उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन/वितरण निगमों (मध्यांचल, पूर्वांचल,

पश्चिमांचल, दक्षिणांचल, केंस्को व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०) को उपलब्ध करायी जायेगी। भूमि के सांकेतिक मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी के 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया प्राप्त किया जायेगा। वार्षिक किराया प्रति वर्ष देय होगा। पुनर्गृहीत भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा। विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण हेतु संबंधित आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता निम्नवत् होगी-

(अ) 33/11 के.वी

(क) कवाल नगरों, बड़े शहरों तथा जिला मुख्यालयों हेतु 1.50 एकड़

-13-

-13-

(ख) अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में	2.00	एकड़
(ब) 132 के.वी.	3.50	एकड़
(स) 220 के.वी.	10.00	एकड़
(द) 400 के.वी.	50.00	एकड़
(य) 765 के.वी.	82.00	एकड़

यदि प्रदेश में विद्युत सुधार एवं विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विद्युतीकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले नये विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना निजी संस्था के माध्यम से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रवन्धन में निहित भूमि सःशुल्क पुनर्गृहण कर नियमानुसार पट्टे पर उपलब्ध कराया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संशोधन, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पाँच) तथा (छः) में निर्दिष्ट भूमियों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही शासन स्तर से की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-744(1)/एक-1-2016-20(5)/2016 तदु दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

- चकवन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
 निजी सचिव, मा:0 राजस्व मंत्री जी।
 राजस्व विभाग के समस्त अनुभाग।
 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
 विशेष सचिव।

-1-

जिलाधिकारियों/मण्डलायुक्तों द्वारा जारी किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेशों का
मानक आकार पत्र

आकार पत्र 1

आदेश

संख्या.....

दिनांक

शासनादेश संख्या.....दिनांक.....का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (30प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या दिनांक.....द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं.....जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त.....संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक.....के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण:- (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही)

2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---

आजा से,

(जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त का नाम)

टिप्पणी- रिक्त स्थान में उन शासनादेश तथा दिनांक भरी जायेगी जिसके द्वारा पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित की गई थी।

-2-

-2-

आकार पत्र 2

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त द्वारा पुनर्गृहीत की गई भूमि का षटमासिक विवरण
30 जून, 20...../31 दिसम्बर, 20.....को समाप्त होने वाला षटमास,
जिला तहसील परगना.....

क्र०सं०	विभाग का नाम जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की गई	ग्राम पंचायत	पुनर्गृहीत भूमि का क्षेत्रफल एवं भूमि की प्रकृति/श्रेणी	पुनर्गृहीत की गई भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की भूमि की मालगुजारी पूंजीकृत मूल वार्षिक किर
1	2	3	4	5	6	7

आकार पत्र 3

पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि का गाटा संख्या, रकबा एवं	ग्राम जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि	ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण जिसमें पुनर्गृहण की जाने वाली भूमि स्थित है।	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि का मूल्य	पुनर्गृहीत की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक	भूमि का मूल्य तथा पूंजीकृत मूल्य	पुनर्गृहण आदेश निर्गत किए जाने की तिथि आदेश संख्या/विभाग	प्र० आ० के व हस ना षट
--	--	---	---------------------------------------	---	----------------------------------	--	-----------------------

भूमि की प्रकृति/श्रेणी	स्थित है			किराया	जमा करने का विवरण	जिसके पुनर्ग्रहण किया गया	लिए सहित	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Annexure - A8

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे ओ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के मूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 29.12.2022

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकृत है या नहीं स्याई या अस्याई	हटाय जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	पट्टा	29.12.2022	192	1.2390	पंखर	अधिकृत नहीं है।			
2				382	0.6070	पंखर	आंशिक भाग पर अंकन बनाकर किया है।	विद्यमान रूप से हटाने की कार्ययोजना की जाती है।	कमाल की घाट-87 के अन्तर्गत पूर्ण विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।	

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 28.12.2022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
i.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	सदर	पारसीत	28.12.2022	362क	0.1140	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
2				383ख	0.2780	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
3				417	0.7340	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
4				428	0.0760	पोखर	पेड़ पर खरिपत अवस्था में सरकारी भवन बना हुआ है।	नियमनुसार कच्चा इटाने की कार्यवाही की जानी है।	उपरोक्त पोखरी 2008 की धारा-87 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।	—
5				502	0.0630	पोखर	आवक मान पर गलत बंधक कच्चा है।	नियमनुसार कच्चा इटाने की कार्यवाही की जानी है।	उपरोक्त पोखरी 2008 की धारा-87 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।	—
6				868	0.0760	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
7				724	0.0440	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
8				730	1.3280	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
9				1374	0.0630	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
10				1380	0.1680	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
				1422	0.4430	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—

उप जिलाधिकारी, सहस्रील सबर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 02.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (पिनको नं)	विभाक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं , खाई या जल्खाई	इटावे पाने की कार्यवीचन	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	हर	भूखेडा	02.01.2023	84	0.0630	पेखर	अधिकरण का पर मंडल बनाकर कमा है।	नियमनुसार कमा करने की कार्यवाही की जाये है।	उपरोक्त पर सडेल 2008 की बारा-47 से अचरल भूलेख निगम द्वारा कार्यवाही की जाये है।	—
2				488	0.2840	पेखर	अधिकरण का पर मंडल बनाकर कमा है।	नियमनुसार कमा करने की कार्यवाही की जाये है।	उपरोक्त पर सडेल 2008 की बारा-47 से अचरल भूलेख निगम द्वारा कार्यवाही की जाये है।	—
3				801	0.3410	पेखर	अधिकरण का पर मंडल बनाकर कमा है।	नियमनुसार कमा करने की कार्यवाही की जाये है।	उपरोक्त पर सडेल 2008 की बारा-47 से अचरल भूलेख निगम द्वारा कार्यवाही की जाये है।	—
				888	0.1900	पेखर	अधिकरण ना है।	—	—	—

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 20.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	आधिकारण ई या नहर स्थान या अस्थाई	हटाने जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	सदरपुर	20.01.2023	578	0.4430	पोखर	आधिकारण पर आवश्यक कच्चा है।	विवरण/हटाने के कार्ययोजना की जानी है।	2000 ई० सीमा 2006 की धारा-87 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जानी है।	

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गीतमयुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 16.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	आवृत्तियुद्धनगर से या नहर स्याई या क्षत्र्याई	इत्यर्थे जाने का कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	जनपद सदर	16.01.2023	290/305	0.4427	पोखरा	ये भी को इस्तकरीत है।			

(Handwritten signature)

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरों का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 20.01.2023

.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	आवृत्तकृष्ण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	इसके खाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	गुनपुर	20.01.2023	205	0.3500	पोखर	अविकल्प नहीं है।	-	-	-

(Handwritten signatures and initials)

प जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
 7 प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 25.01.2023

no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकृतन ई या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाने जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	दुग्गपुर वीलाब	25.01.2023	295	0.7970	पोखर	प्राधिकृतन मांग पर नहरन बनवान करवा ई।	नियमनुस्तर ककन हटाने की कार्ययोजना की जनी ई।	संयुक्त रजिस्ट्रार 2008 की धारा-87 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जनी ई।	
2				514	0.4810	पोखर	जे.पी. ओ इस्तेमालत ई।			
3				515	1.0120	पोखर	जे.पी. ओ इस्तेमालत ई।			
4				533	1.8960	पोखर	जे.पी. ओ इस्तेमालत ई।			

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 25.01.2023

i.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण हे या नहीं स्थाई या अस्थायी	इटयै जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	सदर	दलौर देहात	25.01.2023	744	0.0632	पोखर	अधिक भाग पर किसानों द्वारा कृषिक अस्थाई किया है।	नियमनुसार कच्चा इटाने की कार्ययोजना की जानी है।	उपरोक्त रा0 संविदा 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।	-	
2				1143ख	0.1391	पोखर	अधिकरण नहीं है।	-	-	-	-
3				1256	0.0885	पोखर	अधिक भाग पर किसानों द्वारा कृषिक अस्थाई किया है।	नियमनुसार कच्चा इटाने की कार्ययोजना की जानी है।	उपरोक्त रा0 संविदा 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।	-	
4				201/1912	0.2151	पोखर	अधिकरण नहीं है।	-	-	-	-
5				1572/1919	0.8223	पोखर	आवकल भाग पर मकान बनकर कच्चा है।	नियमनुसार कच्चा इटाने की कार्ययोजना की जानी है।	उपरोक्त रा0 संविदा 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।	-	

(Handwritten signature)

प जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
ग प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 09.01.2023

no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकृतन है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटायें जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			09.01.2023	22	0.3160	पोखर ✓	अधिकृतन नहीं है।	—	—	—
2	सदर	लठीपुर बागर		208	0.0380	पोखर	अधिकृतन नहीं है।	—	—	—
3				340	0.0130	पोखर	अधिकृतन नहीं है।	—	—	—

Handwritten signature

Handwritten initials

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे ओ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 02.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाने जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			02.01.2023	238/1789	0.1010	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
2				241क	2.3390	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाने का कार्य है।	निम्नानुसार कार्य हटाने की कार्ययोजना की जानी है।	संख्या २० सहीदा २००६ की धारा-४७ के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जानी है।	—
3				474	0.3290	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाने का कार्य है।	निम्नानुसार कार्य हटाने की कार्ययोजना की जानी है।	संख्या २० सहीदा २००६ की धारा-४७ के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जानी है।	—
4	सदर	घग्गीरी		638	1.1130	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
5				1086	0.2780	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
6				241ख	1.8330	पोखर	आंशिक भाग पर मकान बनाने का कार्य है।	निम्नानुसार कार्य हटाने की कार्ययोजना की जानी है।	संख्या २० सहीदा २००६ की धारा-४७ के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जानी है।	—

105

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरो का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 09.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	बदर	उरसना	09.01.2023	62	0.0510	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
2				339	0.1330	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
3				461	1.3280	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—

Mr. D. M. M.

जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरा प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 31.01.2023

O.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाय जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	सदर	अधेजा बुजुर्ग	31.01.2023	227	0.4810	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
				244	0.1770	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गीतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
न प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 31.01.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sl. no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्याई या बरसाई	इससे पाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	सदर	जुईना	31.01.2023	164	3.5610	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	-	-	-

Handwritten signature

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरों का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 31.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	प्राधिकरण है या नहीं स्याई या जस्याई	हटाय जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	बस्मनपुर	31.01.2023	188	0.1390	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
2				483	0.1770	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—

Pr
mm

जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 25.01.2023

Tehsil	ग्राम का नाम (इन्डि नो)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	इसमें पान की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any Company/PSU
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जेवर	दयानपुर	25.01.2023	236	0.3670	पोखर	अधिकरण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	नियंत्रण किया है।	यमुना एक्सप्रेसवे 2008 की धारा-67 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	
			709	2.2380	पोखर	अधिकरण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	नियंत्रण किया है।	यमुना एक्सप्रेसवे 2008 की धारा-67 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।	
			488	1.0500	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
			622	0.1900	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
			231	0.0510	पोखर	अधिकरण नहीं है।			

BR
BR

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 25.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	इटापे जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	खजपुर	25.01.2023	198	1.2650	पोखर	आंशिक भाग पर स्थान बनकर कच्चा है।	नियमानुसार कच्चा इटाने की कार्यवाही की जानी है।	उपरोक्त पोखरी 2500 की धारा-47 से अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।	
2				262	0.1260	पोखर	आंशिक भाग पर स्थान बनकर कच्चा है।	नियमानुसार कच्चा इटाने की कार्यवाही की जानी है।	उपरोक्त पोखरी 2500 की धारा-47 से अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।	


A.M.

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गीतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के मूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 25.01.2023

S.no.	Tehsil	घाट का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या गठी स्पाई या अस्थाई	बढ़ाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	जेवर घाट	25.01.2023	273	0.0930	पोखर	अधिकरण नहीं है।	निर्धारण करने के लिए कार्यवाही की जाती है।	वर्ष 2000 से 2008 की धारा-47 के अन्तर्गत निर्धारण द्वारा कार्यवाही की जाती है।	--
2				274	0.1140	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
3				279	0.0380	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
4				1906	0.4810	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
5				1901ख	0.3100	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
6				1902	0.5060	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
7				1904	0.2780	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
8				1905	0.3040	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
9				1965	0.3160	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
10				1956	0.2780	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
11				2398ख	0.0380	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
12				3193	0.2280	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
13				3277	0.2780	पोखर	अधिकरण नहीं है।			

AM

सप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरों का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 25.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटायें जाने का कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	घोरा	25.01.2023	733	0.9870	पोखर	आवक धारा पर महान बनावर कच्चा है।	विद्यमानुसार कच्चा हटाने की कार्ययोजना की जाती है।	सन् 2006 के अधिनियम 2006 की धारा-67 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जाती है।	
2				2797	0.1260	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
3				538	0.7970	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
4				5307	0.5060	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
5				7347	0.2530	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
6				744	0.0380	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
7				767	0.1900	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
8				852	0.1770	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
9				882ख	0.3130	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
10				883	0.2530	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
11				884ख	0.0240	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
12				1033ख	0.0880	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
13				1108	0.2150	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
14				1159ख	0.1520	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
15				1178	0.1390	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
16				1514	0.3670	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
17				1729	0.2020	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
18				1132ख, 1694	0.0760	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
19				1737	0.1240	पोखर	अधिकरण नहीं है।			

AM

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गीतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 25.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकृतगत है या नहीं स्वामी या अवस्था	इटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	अहमदपुर चौकी	25.01.2023	168	0.0290	पोखर	अधिकृतगत नहीं है।			
2				169ख	0.2400	पोखर	अधिकृतगत नहीं है।			
3				408	1.9470	पोखर	अधिकृतगत नहीं है।			
4				561	0.2280	पोखर	अधिकृतगत नहीं है।			
5				768क	0.7970	पोखर	अधिकृतगत नहीं है।			
6				883	1.0620	पोखर	अधिकृतगत है या नहीं स्वामी क्या है।	नियमनुसार कच्चा इटाने की कार्ययोजना की जानी है।	पंचायत सचिव को धर-47 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जानी है।	

(Handwritten signature)

जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 25.01.2023

Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	वास्तविक है या नहीं स्वार्थ या अव्यर्थ	इसके जल का कार्यविवरण	विवरण	Taken up by any Company/PSU
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जेवर	तेलवाडा	25.01.2023	2	0.2280	पोखरी	अव्यर्थ नहीं है।	---	---	---
			538	0.2020	पोखरी	अव्यर्थ नहीं है।	---	---	---
			213	0.2530	पोखरी	अव्यर्थ नहीं है।	---	---	---
			116	1.4300	पोखरी	अव्यर्थ नहीं है।	---	---	---
			214	2.3650	पोखरी	अव्यर्थ नहीं है।	विरासत में है।	विरासत में है।	विरासत में है।


AM

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरों का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 25.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हदामे जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	इजोरा	25.01.2023	121	0.2280	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
2				299	0.6070	पोखर	आवधिकरण के बाद मजदूर बनाकर कच्चा है।	निमनगुण कच्चा टटाने की कार्ययोजना की जाती है।	3000 से अधिक 2000 की धारा-47 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्ययोजना की जाती है।	—
3				382	0.5060	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—

Handwritten signature/initials

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।

दिनांक- 25.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं रियाई या बरखाई	इसके जाने की कार्यवाही	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	सबोस मुल्काबाद	25.01.2023	212	1.6380	पोखर	अधिकरण पर प्रस्ताव बकाया है।	विमानमूलक अकाउंट इटाने की कार्यवाही की जायेगी।	अकाउंट नं0 2008 की धारा-47 से अकाउंट फुल रिपान द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	—
2				239	0.1520	पोखर	अधिकरण पर प्रस्ताव बकाया है।	विमानमूलक अकाउंट इटाने की कार्यवाही की जायेगी।	अकाउंट नं0 2008 की धारा-47 से अकाउंट फुल रिपान द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	—
3				241	0.177	पोखर	अधिकरण पर प्रस्ताव बकाया है।	विमानमूलक अकाउंट इटाने की कार्यवाही की जायेगी।	अकाउंट नं0 2008 की धारा-47 से अकाउंट फुल रिपान द्वारा कार्यवाही की जायेगी।	—
4				251क	0.0630	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
5				261	0.4430	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—



उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरो का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 02.01.2023

S.no.	Tehsil	प्राप्त का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	जातिकरण है या नहीं स्याई या अस्याई	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	कस्तानपुर	02.01.2023	198	0.5690	जेवर	आधिकरण नहीं है।			

→

/ पोखरी

जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे ओ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
माधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 16.01.2023

Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं रखाई या अस्थाई	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जेवर	रीगिज	16.01.2023	382	0.1770	पोखरी	अधिकरण नहीं है।	---	---	---
			381	0.5440	पोखरी	अधिकरण नहीं है।	---	---	---
			449	0.0540	पोखरी	अधिकरण नहीं है।	---	---	---
			185	0.4050	पोखरी	अधिकरण नहीं है।	---	---	---

9m

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पढ़ने वाले कुल तालाब/पोखरा
का प्राधिकरण के मूलख विनाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 18.01.2023

S.no.	Tehsil	घाब का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं स्वयं या जख्माई	इसके पाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			18.01.2023	283	0.5060	कंधर	अधिकरण नहीं है।			
2	सदर	गुहेडी गुरीवरदनपुर		289	0.2030	संता	अधिकरण नहीं है।			

Sm

उप जिलाधिकारी, तहसाल सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 20.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं स्थायी या अस्थायी	इसके द्वारा की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	खदतपुर	20.01.2023	299	0.2020	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
2				309ख	0.1260	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
3				312	0.3410	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—
4				808	0.2910	पोखर	अधिकरण नहीं है।	—	—	—

9/11

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 20.01.2023

S.no.	Tehsil	घाब का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	इससे जमीन की कार्ययोजना	विरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	छोटी घाब	20.01.2023	10132/1	1.2650	सदर	अतिक्रमण नहीं है।			

L Am

पं जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औडि प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
 न प्राधिकरण के मूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 05.02.2023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रम है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटायें जाने की कार्ययोजना	मिटर	Taken up by any Company/PSU
1	सदर	रामपुर बाग	05.02.2023	457	0.1640	काल	अतिक्रम नहीं है।			

9/2

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गीतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरा का प्राधिकरण के मूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 25.01.2023

5.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हदामे पाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	पिपलपुर	25.01.2023	125/ग	0.1520	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---
2				964	0.0630	पोखरा	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---
3				578	0.2530	पोखरा	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---
4				601	2.3010	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---

Handwritten signature

प जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पढ़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
ज प्राधिकरण के मूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 25.01.2023

.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकृतन है या नहीं स्वयं या जल्पाई	इससे काने की कार्ययोजना	विराम	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			25.01.2023	1126	0.2910	खरर	अधिकृतन नहीं है।			
2	सदर	निलीनी बाइपुर		1205	0.1770	खरर	अधिकृतन नहीं है।			

gm

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरा का प्राधिकरण के मूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 31.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकृत के या मती स्थाई या अस्थायी	इसके जाने की कार्ययोजना	विवरण	10	11	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	रावर	प्राचुर	31.01.2023	257	0.6640	पोखरा	अधिकृत नहीं है।	---	---	---	---	---
2			330	0.3540	पोखरा	अधिकृत नहीं है।	---	---	---	---	---	---
3			401	0.2910	पोखरा	अधिकृत नहीं है।	---	---	---	---	---	---

Signature

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 31.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			31.01.2023	211	0.0890	पोखरी	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---
2	सदर	मकनपुर बाग		213	0.5690	पोखरी	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---

J

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 31.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हदमें जाम की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	बादपुर	31.01.2023	214	0.6580	खेत	अतिक्रमण नहीं है।			

R
m

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के शूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 05.02.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सदर	रामपुर खदर	05.02.2023	384/447	0.1770	सदर	अतिक्रमण नहीं है।			


(AM)

जलधिकारी, तहसील सदर, जनपद गीतमयुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औड वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी
विवरण के मूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 06.01.2023

Talab	ब्राह्म का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2		06.01.2023	52	0.2080	सिद्ध	अतिक्रमण नहीं है।	--	--	--
#	पोखरी								

Handwritten signature

उपर जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे ओ 10 वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 09.01.2023

S.No.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नदी त्साई या अत्साई	हटाये जाने की कार्ययोजना	शिवरत	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेर	उटहली	09.01.2023	122	0.5670	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	--	--	--
2				270	0.2020	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	--	--	--
3				414-	0.0130	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	--	--	--
4				953	0.8220	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	--	--	--
5				635	0.6580	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	--	--	--
6				891	0.1770	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	--	--	--

gm

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरो का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 09.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेस	रघुपुर इन्वर्त	09.01.2023	157	0.0510	कौवा	अतिक्रमण नहीं है।	-	-	-

SR

म जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरा
का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 06.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थायी या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1			06.01.2023	202	3.1870	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---
2	देवर	गौतमपुर जादीन		205	0.2530	फवरा	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---
3				403	0.0760	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	---	---	---

gm

उप जिलाधिकारी, तहसील सदर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरो का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 02.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थायी या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	दुबली	02.01.2023	283	0.3410	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
2			309	0.8980	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—	
3			294	0.1900	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—	
4			418	0.1900	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—	

g m

उप जिलाधिकारी, तहसील सिकन्द्राबाद, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल
 तालाब/पोखरों का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
 दिनांक- 02.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	दिवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	सिकन्द्राबाद	चौकी	02.01.2023	320	0.9480	फेसर	अतिक्रमण नहीं है।			

g m

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (In Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	भाईपुर ब्रह्मगन्		320	0.9480	पोखर	अस्थायी भाग पर मकान बनाकर स्थायी किया।	उपरोक्त तालाब सहीला 2008 की धारा-87 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है।		
2				180	0.5440	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।			

JS
(S.M)

पं. जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ० वि० प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरों का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।

Sl. no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना,	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1				120	0.9480	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
1				168	0.8600	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
2				488	0.0130	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
3	जेवर	कसपुरा		596	0.1010	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
4				603	0.6200	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—
5										

(Am)

सय जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 25.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं स्थाई या अस्थायी	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	मुकीमपुर सिवारा	25.01.2023	209मि	1.2270	साखर	अतिक्रमण नहीं है।	—	—	—

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गौतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ वित्त प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरा का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण।
दिनांक- 16.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अधिकरण है या नहीं खाई या अस्साई	हटाये जाने की कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	बनारसबास	16.01.2023	99	0.2020	पोखर	मरुत बनाकर खारी कब्जा।	उपरोक्त पोखरा 2008 की धारा-57 के अन्तर्गत भूलेख विभाग द्वारा कार्यवाही की गयी है।		
2	जेवर	बनारसबास	16.01.2023	47	0.3160	पोखर	अधिकरण नहीं है।			
3	जेवर	बनारसबास	16.01.2023	16	0.0630	पोखर	अधिकरण नहीं है।			

उप जिलाधिकारी, तहसील जेवर, जनपद गोंतमबुद्धनगर से प्राप्त यमुना एक्सप्रेसवे औ0 वि0 प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कुल तालाब/पोखरी का प्राधिकरण के भूलेख विभाग द्वारा कराये गये स्थलीय सर्वे का विवरण। दिनांक- 09.01.2023

S.no.	Tehsil	ग्राम का नाम (हिन्दी में)	दिनांक	Khasra no	Area (in Hectare)	Talab Name	अतिक्रमण है या नहीं रूवाई या अरुवाई	हटाये जाने का कार्ययोजना	विवरण	Taken up by any Company/PSU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जेवर	मुहारा	09.01.2023	103	0.4170	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।			
1	जेवर	मुहारा	09.01.2023	294	0.3290	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।			
1	जेवर	मुहारा	09.01.2023	367	0.1260	पोखर	अतिक्रमण नहीं है।			

Annexure - A9



मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में याजित ओ0ए0 संख्या 177/2022 अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 व 12.10.2022 के अनुपालन हेतु प्राणों में स्थित तालाबों/पोखरों के स्थलीय पैमाईश/सर्वे हेतु गठित 04 टीमों का ग्रागवार रोस्टर।

क्रम सं०	ग्राम के नाम	तहसील	खसरा नम्बरान के अनुसार तालाबों की संख्या	भूलेख विभाग व परियोजना विभाग द्वारा स्थलीय पैमाईश/सर्वे की तिथि	भूलेख विभाग		परियोजना विभाग		टिप्पणी
					लेखपाल का नाम	तहसील/ना0 तहसीलदार का नाम	प्रबन्धक का नाम	सहा0प्रबन्धक का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
टीम-01									
1	भाईपुर ब्रह्मनान	जेवर	01	18.12.23	श्री मदन गोपाल	श्री पंकज बरतरिया	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
2	चकदीरमपुर	जेवर	06	19.12.23 20.12.23 21.12.23	श्री राजकुमार	श्री मनोप सिंह	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
3	भ्याना	जेवर	02	22.12.23	श्री मदन गोपाल	श्री पंकज बरतरिया	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
4	आकलपुर	जेवर	04	23.12.23	श्री तनवीर अहमद	श्री विजय प्रकाश मिश्र	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
5	भोकनपुर (माजरा-भयारा)	जेवर	01	24.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
6	श्रवपुरा	जेवर	05	25.12.23 26.12.23 27.12.23	श्री पूजा रमाधिया	श्री विपिन कुमार	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
7	तलीपुर	जेवर	01	28.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
8	रामपुर खादर	सदर	01	29.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री शुभम पुण्डरीर	श्री लवकेश कुमार	
टीम-02									
9	कानुपुर	जेवर	05	18.12.23 19.12.23 20.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री कार्तिकय जायसवाल	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	
10	वीरमपुर	जेवर	06	21.12.23 22.12.23 23.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री कार्तिकय जायसवाल	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	
11	बकापुर	जेवर	01	24.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री कार्तिकय जायसवाल	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	
12	दरतमपुर	जेवर	02	25.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री कार्तिकय जायसवाल	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	
13	घनासिया	जेवर	01	26.12.23	श्री विजयपाल-1	श्री मनीष सिंह	श्री कार्तिकय जायसवाल	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	
14	करीली बांगर(माजरा-नंगला हुकम सिंह, नंगला कंवन, नंगला मटोना, नंगला धदन)	जेवर	05	27.12.23 28.12.23 29.12.23	श्री राजकुमार	श्री मनीष सिंह	श्री कार्तिकय जायसवाल	श्री संजय कुमार श्रीवास्तव	

Yamuna Expressway Industrial Development Authority

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कामर्सियल कॉम्प्लेक्स, स्टाक-पी0-2, रोडर आभेगा-1 ग्रेटर नोएडा सिटी 201308 जिला-गौतमबुद्ध नगर (उ0प्र0)
दूरभाक 0120-2395201, फॅकरा 0120-2395150 वेबसाइट: www.yamunaeexpresswayauthority.com

19



टीम-03									
15	रसूलपुर इकवेल	जेवर	01	18.12.23	श्री विजयपाल-I	श्री मनीष सिंह	श्री हिमाशु सिंह	श्री अजय सिंह	
16	उटरावली (भाजरा-गोविन्द गढ)	जेवर	06	19.12.23 20.12.23 21.12.23	श्री अदुत रायोर	श्री विभिन कुमार	श्री हिमाशु सिंह	श्री अजय सिंह	
17	रोनीजा	जेवर	05	22.12.23 23.12.23 24.12.23	श्री राजकुमार	श्री मनीष सिंह	श्री हिमाशु सिंह	श्री अजय सिंह	
18	सुहेड़ी मोहीउद्दीनपुर	सदर	02	25.12.23	श्री सुरेन राम शर्मा	श्री जय कुमार तोमर	श्री हिमाशु सिंह	श्री अजय सिंह	
19	कादरपुर (भाजरा-जहानाब द)	सदर	03	26.12.23	श्री समजी ताल	श्री विजय प्रकाश मिश्र	श्री हिमाशु सिंह	श्री अजय सिंह	
20	पचोकरा (भाजरा-नंगला पदम सिंह, नंगला श्री गोपाल)	जेवर	01	27.12.23	श्री पूजा सन्धिषा	श्री विभिन कुमार	श्री हिमाशु सिंह	श्री अजय सिंह	
21	रामपुर बागर	जेवर	01	28.12.23	श्री वैभव तैरतिया	श्री मनीष सिंह	श्री हिमाशु सिंह	श्री अजय सिंह	
टीम-04									
22	रोनीजा	जेवर	05	18.12.23 19.12.23 20.12.23	श्री राजकुमार	श्री मनीष सिंह	सुश्री शिवानी	श्री अजय सिंह	
23	खेरली भाब(भाजरा-खेर ली मिलक)	सदर	02	21.12.23	श्री सुशील प्रसाद शर्मा	श्री विजय प्रकाश मिश्र	सुश्री शिवानी	श्री अजय सिंह	
24	मिर्जापुर (भाजरा-चपरगढ)	सदर	04	22.12.23 23.12.23 24.12.23	श्री विजयपाल-II	श्री पंकज बरतरिया	सुश्री शिवानी	श्री अजय सिंह	
25	निलोनी शाहपुर (भाजरा-शाहपुर)	सदर	02	25.12.23	श्री के.एल. वर्मा	श्री विभिन कुमार	सुश्री शिवानी	श्री अजय सिंह	
26	मकनपुर बागर	सदर	02	26.12.23	श्री समजी ताल	श्री विजय प्रकाश मिश्र	सुश्री शिवानी	श्री अजय सिंह	
27	चादपुर	सदर	01	27.12.23	श्री मदन गोपाल अवस्थी	श्री पंकज बरतरिया	सुश्री शिवानी	श्री अजय सिंह	
28	अदटा गुजरान	सदर	01	28.12.23	श्री मदन गोपाल अवस्थी	श्री पंकज बरतरिया	सुश्री शिवानी	श्री अजय सिंह	
कुल योग			75						

नोट- रोस्टर में अंकित तिथि में अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस में स्थलीय पैमाईश/सर्वे का कार्य किया जायेगा।

४

Yamuna Expressway Industrial Development Authority

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

द्वितीय तल, कार्मिथल कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी0-2, रोस्टर आरेंज-1, ग्रेटर नोएडा सिटी 201308 जिला-गोतमबुद्ध नगर (उप्र)
दूरभाष 0120-2395201, फॅक्स: 0120-2395150 वेबसाइट: www.yamunalexpresswayauthority.com

नानाब/पोखरी की सूची में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
दिनांक-20.09.2022

Annexure - A10

तालाबों के कार्यों का विवरण				
क्र० सं०	ग्राम का नाम	तालाबों की संख्या	धनांक	कराये गये कार्यों का विवरण
1	Sultanpur	1	64.00	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.38मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
2	Faleda Bangar	2		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 3.10मी० से 1.72मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
3	Dhanpura	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.40मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
4	Siroli Bangar	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.32मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
5	Rampur Khadar	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.40मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
6	Anwargarh	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.16मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
7	Mohammadabad Kheda	2		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.58मी० से 1.68मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
8	Bhaipur	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.80मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
9	Mehandipur	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.66मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
10	Kallupura	2	68.08	तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.52मी० से 2.16मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
11	Jaunchana	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.22मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
12	Makshudpur	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.24मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
13	Bhunna Taga	1		तालाब से जलकुम्भी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.62मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।

2

14	Muradgarhi	2
15	Myana	1
16	Akalpur	2
17	Bhikanpur	1
18	Bhoyra	1
19	Chak Veerampur	1
20	Moonjkhera	1
21	Dhanori Khurd	1
22	Dyorar	1
23	Ahmadpur Choroli	1
24	Banwaribas	2

तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.20मी० से 1.18मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 0.66मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.72मी० से 1.80मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 2.10मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 0.78मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 0.80मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.50मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.20मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 0.50मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।
तालाब से जलकुम्बी हटवाना, Dewatering कराया गया है एवं तालाब के अन्दर से Excavation द्वारा 1.00मी० Sludge को निकाला गया एवं तालाब के चारों ओर बांध का निर्माण कराया गया है।

२




Village- Dyoara. Annexure - A11



GPS Map Camera
Deorar, Uttar Pradesh, India
4MG7+C77, Deorar, Uttar Pradesh 203155, India
Lat 28.126042°
Long 77.66304°
30/03/23 11:04 AM GMT +05:30



Village -: Anwargadh



JS
(A.M.)

Village - Kallupura - 2





Google

Murad Garhi, Uttar Pradesh, India

1600mtr runing track 1600mtr running track, Murad Garhi, Uttar Pradesh 203209, India

Lat 28.225626°

Long 77.605439°

11/04/23 03:41 PM

GPS Map Camera



Murad Garhi



Google

Murad Garhi, Uttar Pradesh, India

1600mtr runing track 1600mtr running track, Murad Garhi, Uttar Pradesh 203209, India

Lat 28.226397°

Long 77.606065°

11/04/23 12:53 PM

GPS Map Camera


Handwritten signature and initials

Village - Akalpur





JS
(AM)

vill. Dhanauri Khurd



Village :- Dhanauri Kala.



Village - Bhikanpur

Annexure - A12









Village - Akalpur



Annexure - A13







वर्ष 2019-20 से यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा तालाबों/पोखरों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से उनकी साफ-सफाई एवं खुदाई का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	तालाब की सफाई से पहले के चित्र	तालाब की सफाई के बाद की चित्र
1	खेरली भाव		
2	मकसूदपुर		
3	डूंगरपुर रीलखा		

रिंकु कुमर
सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण


Mayor - *[Signature]*

[Signature]

4	मुतेना		
5	पारसोल -1		
6	पारसोल -2		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

Handwritten signature and initials

7	थरसाना		
8	डुबली-1		
9	डुबली-2		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10 मेहन्दीपुर





11 कुरैब-1



12 कुरैब-2









रिंकु कुमार
सहायक प्रबन्धक (जमान)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण

13	नगला हुकुम सिंह		
14	मोहम्मदपुर गुजर		
15	पचोकरा		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 यशकुमार एक्सप्रेसवे (बीघो)-दि० प्राधिकरण

<p>16</p>	<p>मोहम्मदपुर जादो</p>		
<p>17</p>	<p>मुसादगडी</p>		
<p>18</p>	<p>रवूपुरा</p>		

रिक्त
रिक्त कुमार
सहायक प्रबन्धक (सम्मान)
बभुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

Handwritten signature

Handwritten signature

19	आकलपुर		
20	उतरावली		
21	मोहम्मदपुर खेडा		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (उद्यान)
 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

Handwritten signature

Handwritten signature

22	रामपुर खादर		
23	चौकी	 2019-7-2 14:30	 2019-7-2 14:30
24	भाईपुर	 2019-7-6 13:17	 2019-7-7 16:57

रिंशु कुमार
सहायक प्रबंधक (उद्यान)
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

25	अमीपुर		
26	लतीफपुर बागर		

रिंकु कुमार
 सहायक प्रबन्धक (समान)
 यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक प्राधिकरण

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL Annexure - A14 Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No.	: IN-UP97434718626073V
Certificate Issued Date	: 03-Jan-2023 12:43 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14011004/ GAUTAMBUDDH NAGAR 2/ UP-GBN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1401100488364454200187V
Purchased by	: YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Second Party	: Not Applicable
Stamp Duty Paid By	: YAMUNA EXPRESSWAY INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)



Please write or type below this line

(GAURI KUMAR)

(As (Legal))

Adm. WGF Global

Foundations

Dr. A. V. Singh
Chief Executive Officer
Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

Statutory Alert:

- The authenticity of the Stamp certificate should be verified at www.indiaestamp.com or using e-Stamp Mobile app or Block Chain Technology details of this Certificate and as available on the website / Mobile App renders if available.
- The user requesting the certificate is the user of the certificate. For any further information please inform the Competent Authority.

Memorandum of Understanding

Between Wheels Global Foundation and Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA)

This Memorandum of Understanding ("MoU") is entered on 03.01.2023 by and between

Wheels Global Foundation, 5, Ground Floor, Golf Links, New Delhi – 110003 (hereinafter referred to as "WGF");

AND

Yamuna Expressway Industrial Development Authority (hereinafter referred to as "YEIDA"), created by the UP Government under the UP Industrial Development Act, 1976 to ensure planned development of industrial and allied activities in their notified areas.

WGF and YEIDA are referred to individually as a "Party" and collectively as "Parties". The Parties have reached the following intent:

Article 1: Background and Purpose

Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) has been created under the UP Industrial Development Act, 1976 to ensure planned development of industrial and allied activities in their notified area.

Government of UP constituted Yamuna Expressway Industrial Development Authority (erstwhile Taj Expressway Industrial Development Authority) vide its Notification No. 697/77-4-2001-3(N) / 2001 dated 24th April, 2001. 1187 villages of Gautambudh Nagar, Bulandshahar, Aligarh, Hathras, Mathura and Agra districts have been notified under Yamuna Expressway Industrial Development Authority vide various Notifications of Govt. of UP.

Wheels Global Foundation (earlier known as WHEELS Charitable Foundation), (hereinafter referred to as WHEELS) incorporated under sub section (2) of section 7 of the Companies Act 2013 and rule 8 of the Companies (Incorporation Rules 2014) having its registered office at 5, Ground Floor, Golf Links, New Delhi, South Delhi, India – 110003. WHEELS is also registered on the NGO Portal – NGO Darpan, having unique ID – DL/2020/0256412. WHEELS is an India arm of Wheel Global Foundation (hereinafter referred to as WGF) and a Non-profit foundation providing technology driven solutions to the challenges that affect the global rural population in six areas: Water, Healthcare, Energy, Education, Rural Livelihoods, and Sustainability.




Dr. A. V. Singh
 Chief Executive Officer
 Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

WHEELS is a part of the NITI Aayog constituted Civil society consultation Sub-group on Innovation technology transfer and a partner to the Ministry of Panchayati Raj (MoPR), Government of India under the theme of Technology Innovation for Rural Areas.

WGF Water council has been constituted and aspires to become 'trusted partners' to state governments in catalyzing holistic and integrated water conservation and management, through use of appropriate technology in the country, at scale, with collaborative multi-stakeholder partnership.

WHEELS is represented by its Chairman, Shri Ashank Desai (which expression shall, where the context so admits, be deemed to include its successors, executors and administrators) as SECOND PARTY.

WHEREAS both the parties are desirous of collaborating to leverage technology interventions and innovations in the water space and implement restoration of water bodies and *holistic community development*, through a multi-stakeholder participation mode.

Article 2: Scope of MoU

The scope of this MoU is to implement a pilot Project for restoration and revival of water bodies and holistic community development in three selected clusters of 16 villages within the jurisdiction of YEIDA in the first phase, as per **Annexure I**. Phase-1 of the Pilot Project will be undertaken from 15th January, 2023. Further expansion in Phase II could be considered, based on learnings from implementation and inputs from assessment of the first phase.

The pilot includes design and implementation of the Project with the help of a consortium of partners with proven capabilities in this domain.

The pilot Project will incorporate robust systems, processes, and monitoring mechanisms and will be executed through convergence of various government Projects and schemes. WGF execution convergence portal will be used as an anchor for this pilot Project.

The pilot Project will engage user communities towards integrated water management, sustenance, and long-term conservation of water resources.

The pilot Project will design appropriate interventions using scientific data and evidence-based methods. The interventions will be structured to restore water bodies, participatory management of water bodies etc. The execution of works based on the recommendations will be carried out by YEIDA under their ongoing schemes.

An independent third-party evaluation of baseline, mid-term, end-term measurements and outcome evaluations will also be carried out.

The project will be transitioned and handed over to YEIDA on completion of the pilot, on mutually agreed terms.




Dr. A. V. Singh
Chief Executive Officer
Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

3.2.1 Dedicated staff for the Project

YEIDA will deploy dedicated staff as per the needs of the project, including

- ▶ A technical champion support team, to assist us with the convergence execution Portal adoption
- ▶ A dedicated technical executive assigned for performance monitoring, progress reviews etc.

3.2.2 Facilitation, support and Periodic Reviews

YEIDA will

- ▶ Appoint one senior officer as the Nodal Officer for the Project
- ▶ Constitute a top-level Committee for the Project with the Lead Bank, industry champions, concerned YEIDA, NIAL and state government officers, our Execution Consortium Partners etc.
- ▶ Hold an inception meeting of the committee at the beginning of the project to deliberate on the proposed planning, roadmap and the support required etc.
- ▶ Hold Joint periodic progress review meetings based on portal updates and physical progress
- ▶ Constitute an Advisory body for industry connect for training and placement, including for the airport
- ▶ Facilitate partnership with the lead bank for financial planning and inclusion, capacity building etc
- ▶ Identify local CSO Champions, if any
- ▶ Facilitate flow of information and support as required by Execution Consortium Partners
- ▶ Converge various Yeida initiatives, government Projects and schemes
- ▶ Facilitate CSR funding for direct project expenses, wherever required
- ▶ Ensure timely implementation of works as per the recommendations of the Execution Consortium Partners and facilitate the necessary permissions & grants for the works
- ▶ Commission documentation, evaluation, and monitoring activities for the project from time to time.
- ▶ Commission a baseline socio-economic survey of the Project villages and its beneficiaries

3.3 Role of execution consortium

Based on an understanding of the needs, the execution consortium will comprise of

1. A Support Partner for restoration of water bodies.
2. A Mentor, technical and holistic community development execution partner
3. An expert support organisation for community awareness and public education




Dr. A. V. Singh
 Chief Executive Officer
 Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

In pursuance of the mutual promises and agreements herein, both Parties hereby agree to enter into a strategic partnership to facilitate the following for successful implementation of the program as per the approaches and modalities finalized mutually.

The objective of the program is to see significant outcomes in the areas of:

1. Natural resources productivity and Climate Change
2. Economic and livelihoods
3. Social & health
4. Community institutions and sustainability
5. Outcome monitoring

Article 3: Role of Parties

3.1 Role of WGF

WGF will

- ▶ Conceptualize the pilot project.
- ▶ Identify and on board consortium partners with proven capabilities on a common platform.
- ▶ Design the Pilot Project using scientific and evidence-based approach and structured around robust systems and processes with the help of multiple consortium partners with proven capabilities.
- ▶ Provide recommendations to YEIDA for works to be undertaken for restoration of water bodies and holistic community development, through its execution consortium partners.
- ▶ Provide Convergence Execution Portal to be hosted on YEIDA server and guidance to YEIDA technical support team for adoption. The Portal will converge all the activities performed by different agencies involved in this pilot.
- ▶ Coordinate with YEIDA for monitoring progress of the project and measurement and display of outcome impact parameters.
- ▶ Regular performance review with the help of the dedicated technical executive assigned.
- ▶ Setting the agenda for periodic meetings with YEIDA, including Outcome monitoring thru independent third party
- ▶ Coordinate with YEIDA for facilitating the delivery of outcomes by Partners.
- ▶ Coordinate with Execution Consortium Partners.
- ▶ Oversee biannual socio-economic assessments and periodic independent assessments commissioned by YEIDA

3.2 Role of YEIDA




 Dr. A. V. Singh
 Chief Executive Officer
 Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

WGF has identified the following execution consortium partners for the

- a. A.T.E Chandra Foundation- Restoration and rejuvenation of Water Bodies
- b. Amrita Vishwa Vidyapeetham - Holistic Community Development
- c. Spoken Tutorial Project, IIT Bombay - Community awareness and Public Education

The AOA with these partners is enclosed as **Annexure-II**.

WHEELS may bring other partners with required capabilities to supplement the consortium as per the needs of the project.

The Execution Consortium will collectively work with Local grassroots organizations and other partners and will be brought together with YEIDA, through the Execution Convergence Portal of WGF.

Article 4: Project Period

4.1.1 This MoU becomes effective from the date of its signature by the Parties and will remain valid for a period of **2 Years** with an additional **six months** for transition of the Project

4.1.2 The MoU may be extended by mutual consent of both the Parties.

4.1.3 **Phase-1** of the Pilot Project will be implemented from **January 15, 2023** during which water bodies will be identified, mobilization plans will be co-created with district teams and communities, and program implementation commenced with demand mobilized from communities. The proposal for Phase-2 will be developed, finalized and submitted subsequently.

Article 5: Funding & Costs

5.1.1 This MoU does not entail any financial commitments from YEIDA to WGF or any of its execution consortium partners.

5.1.2 The YEIDA will undertake execution of the recommended works through convergence of various government programmes and schemes.



 Dr. A. V. Singh
 Chief Executive Officer
 Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

5.1.3 YEIDA will deploy its own resources for execution of the recommended works and for direct project expenses as per the progress uploaded in the portal and physically verified by YEIDA.

Article 6: Terms & Amendments

6.1 Terms:

6.1.1 Parties will not use the other party's logo/branding or any other intellectual property without seeking prior express written permission.

6.1.2 Any modifications to this MOU will be carried out in writing with mutual consent of both the Parties.

6.2 Amendments:

6.2.1 No amendment, supplement, modification or clarification to this MOU shall be valid or binding unless set forth in writing and duly executed by the Parties to this MOU.

Article 7: Confidentiality and Public Announcement

7.1 Confidentiality and Public Announcement

7.1.1 "Confidential Information" means personally identifiable data/information collected under the activities contemplated by this MOU in audio, visual or any other form. Data collected under this MOU in its appropriately de-identified and anonymised form may be treated as a public good with the prior permission of WGF.


7.1.2 Information/data collected under this program can be used for further public dissemination of evidence-based research by WGF after obtaining the express concurrence of YEIDA.

Article 8: Termination and Counterparts

8.1 Termination for Convenience:


Any Party may terminate its participation in this MOU by giving one months' notice to the other Party. The Parties agree that upon termination of this MOU for any reason, the Parties will work together in good faith to wind up the program smoothly and collaboratively.




 Dr. A. V. Singh
 Chief Executive Officer
 Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

Article 9: Annexures

Annexure I: Pons.PPT attached separately.



Dr. A. V. Singh
Chief Executive Officer
Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority

8.2 Non-binding Status:

The Parties agree and understand that this MOU is non-binding and shall not create or give rise to any legally binding obligations upon the Parties to perform any activity or provide any funding.



8.3 Non-Exclusivity:

The Parties shall pursue the objectives of the MOU based on non-exclusivity. Neither the Parties, their affiliates, employees, nor agents shall be restricted from making any arrangements or agreements with any third party for the purpose of conducting similar programs.


8.4 Counterparts:

This MOU may be executed in counterparts, each of which shall be deemed original, but all of which together shall constitute one and the same MOU.

IN WITNESS WHEREOF the parties have caused this MOU to be signed by their duly authorized representatives on _____ at New Delhi.

<p>FOR WGF</p>  <hr/> <p>Authorised Signatory Name: Designation:</p>	<p>FOR YEIDA</p>  <p style="text-align: center;">3.1.23</p> <hr/> <p>Authorised Signatory Name: Anu Vir Singh Designation: CEO YEIDA</p>
--	---


 D. A. V. Singh
 Chief Executive Officer
 Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority




Dr. A. V. Singh
 Chief Executive Officer
 Yamuna Expressway Indl. Dev. Authority



Annexure - A15



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

दिल्लीय त्त, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सेक्टर जेमेगा-1, ग्रेटर नोएडा सिटी - 201308, गौतमबुद्धनगर (जेएनए)

पत्रांक : वाई0ई0आई0डी0ए0/776/SM-6 /2023/

दिनांक 09 /01/2023

सेवा में,

श्रीमती गौरी कुमार,
(आई0ए0एस0 - सेवानिवृत्त),
सदस्य-एडवाजरी कमेटी,
M/s Wheels Global Foundation,
5, Ground Floor, Golf Links,
New Delhi-110003

विषय:- Wheels Global Foundation and Yamuna Expressway Industrial Development Authority(YEIDA) के मध्य दिनांक 03.01.2023 को हुए अनुबन्ध (MOU) के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 06.01.2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में Wheels Global Foundation संस्था की एडवाइजरी कमेटी के सदस्यों के साथ वार्ता हुई, जिसमें आपके द्वारा प्राधिकरण क्षेत्र में कौशल विकास, सामाजिक जागरूकता के कार्यों के साथ-साथ तालाबों की सफाई किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध (MOU) निष्पादित करते हुए कार्यक्षेत्र का निर्धारण किया गया। विचार विमर्श उपरान्त यह निश्चित किया गया कि जिन 12 ग्रामों में अभ्युदय कम्पोजिट परिषदीय विद्यालय योजना के तहत कार्य कराया जाना है, उसको भी सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित किया जाये तथा अवशेष 15 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए 27 ग्रामों की सूची तालाबों को सफाई हेतु तैयार कर ली जाए। यह भी निश्चित किया गया है, जिन ग्रामों में परिषदीय विद्यालय एवं सामुदायिक केन्द्र की उपलब्धता हो, उनको प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए।

उपरोक्त के क्रम में 12 अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय क्रमशः ग्राम- तिरथली, अहमदपुर चौरोली, जौनघाना, जेवर खादर, आर0 एण्ड आर0-जेवर बांगर, पचौकरा, डूगरपुर रीलखा, ठसराना, मौहम्मदपुर जादौन, अटटा फतेहपुर, दनकौर एवं भटटा को सम्मिलित करते हुए कुल 27 ग्रामों क्रमशः तिरथली, अहमदपुर चौरोली, उस्मानपुर, जेवर खादर, आर0 एण्ड आर0-जेवर बांगर, पचौकरा, डूगरपुर रीलखा, ठसराना, मौहम्मदपुर जादौन, अटटा फतेहपुर, दनकौर, भटटा, सलारपुर, अटटा गुजरान, आच्छेपुर, अच्छेजा बुर्जग, डेरी गुजरान, झाझर, मुतैना, मिर्जापुर, निलौनी, रोनिजा, रूस्तमपुर, दुबली, चौकी, पारसौल एवं गुनपुरा की सूची संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त ग्रामों में अनुबन्ध(MOU) के अनुसार कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोपरि।

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर0), को सूचनार्थ।
2. विशेष कार्याधिकारी (एस0बी0/एस0के0एस0) को सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (परि0) को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (परि0) को सूचनार्थ।

9.1.23
(डा0 अरुणवीर सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

9.1.23

9.1.23
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

ऐसे ग्रामों की सूची जहाँ अभ्युदय विद्यालय भी प्रस्तावित है:-

क्र०सं०	ग्राम का नाम
1	तिरथली
2	अहमदपुर चौरोली
3	जौनचाना
4	जेवर खादर
5	आर० एण्ड आर० साइट जेवर बांगर
6	पचौकरा
7	डूंगरपुर रीलखा
8	ठसराना
9	मौहम्मदपुर जादौन
10	अटटा फतेहपुर
11	दनकौर
12	भटटा

ऐसे ग्रामों की सूची जहाँ तालाबों की सफाई प्रस्तावित है:-

1	तिरथली
2	अहमदपुर चौरोली
3	उस्मानपुर
4	जेवर खादर
5	आर० एण्ड आर० साइट जेवर बांगर
6	पचौकरा
7	डूंगरपुर रीलखा
8	ठसराना
9	मौहम्मदपुर जादौन
10	अटटा फतेहपुर
11	दनकौर
12	भटटा
13	सलारपुर
14	अटटा गुजरान
15	आच्छेपुर
16	अच्छेजा बुर्जग
17	डेरी गुजरान
18	झांझर
19	मूतैना
20	मिर्जापुर
21	निलौनी
22	रोनीजा
23	रुस्तमपुर
24	दुबली
25	चौकी
26	पारसौल
27	गुनपुरा

Annexure - A16



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

दिल्लीय तार, कॉन्सिडर कोमलता, सेक्टर ओपेन-1, बेंटर गीएब सिटी - 201308, यमुना एक्सप्रेसवे (2000)
दूरभाष नं - 0120 - 2385180 फॅक्स नं - 0120 - 2385180

पत्रांक : वाई.ई.ए./वरि०प्र०/ब०-6/2023/836

दिनांक : 19/01/23

कार्यालय आदेश

कृपया व्हीलस् ग्लोबल फाउण्डेशन (WGF) तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य दिनांक 03/01/2023 को एमओयू द्वारा 27 ग्रामों में सर्वे हेतु (WGF) के द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में फील्ड कोर्डिनेटर के सहायतार्थ टैक्नीकल सुपरवाइजर, सहायक प्रबन्धक व नोडल प्रबन्धक 10 टीमों को गठित करते हुए स्टॉफ की तैनाती निम्नवत् की जाती है :-

	ग्राम का नाम	टैक्नीकल सुपरवाइजर का नाम व मौबाईल नं०	सहायक प्रबन्धक का नाम व मौबाईल नं०	प्रबन्धक का नाम व मौबाईल नं०
1	आच्छेपुर	श्री शुभम श्रीवास्तव (7838023917)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
2	मोहम्मदपुर जादौन	श्री नितिन (8881777232)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
3	दुबली	श्री निखिल सौनी (9536009021)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
4	रुस्तमपुर	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार (9990305206)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
5	अच्छेजा बुर्जग	श्री प्रशांत सक्शेना (9871909518)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
6	डूंगरपुर रीलखा	श्री गोल्डी बंसल (8800184026)	श्री अनीस (9999491786)	श्री योगेन्द्र पाल सिंह (9205691285)
7	ठसराना	श्री योगीराज (8307117332)	श्री अनीस (9999491786)	श्री योगेन्द्र पाल सिंह (9205691285)
8	सलारपुर	श्री नवीन सिंह (9711237798)	श्री अनीस (9999491786)	श्री योगेन्द्र पाल सिंह (9205691285)
9	चौकी	श्री उस्मान (7503008605)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
10	मुतैना	श्री मोहन चौहान (9540454023)	श्री अनीस (9999491786)	श्री योगेन्द्र पाल सिंह (9205691285)

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबन्धक (परि०) महोदय, को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप महाप्रबन्धक (ए०के०एस०/आर०बी०) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक (परियोजना), को अनुपालनार्थ।

19/01/23
(सुभाष चन्द्रा)
०/८ वरि०प्रबन्धक (वर्क सर्फिल-06)

19/01/23
०/८ वरि०प्रबन्धक (वर्क सर्फिल-06)



यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

दिल्ली ग्राम, कृषिगत कोष, सेंटर जेम्स-1, ईटर मॉडल सिटी - 201308, पौन्युदनगर (2000)
दूरभाष नं० - 0120 - 2780180 फॅक्स नं० - 0120 - 2780180

पत्रांक : आई.ई.ए./Sm/WC-06/1099/2023

दिनांक : 03/04/2023.

(संशोधित) कार्यालय आदेश

कृपया व्हील ग्लोबल फाउण्डेशन (WGF) तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मध्य दिनांक 03.01.2023 को एम0ओ0यू0 द्वारा 27 ग्रामों में सर्वे हेतु व्हील ग्लोबल फाउण्डेशन (WGF) के द्वारा की गयी अपेक्षा के कम में अवशेष 17 ग्रामों हेतु फील्ड कोर्डिनेटर के सहायतार्थ टैक्नीकल सुपरवाइजर, सहायक प्रबन्धक व नोडल प्रबन्धक की 17 टीमों को गठित करते हुए स्टाफ की तैनाती कार्यालय पत्रांक वाई0ई0आई0डी0ए0/उप महाप्रबन्धक (परि0)/2023/81 दिनांक 10.03.2023 के द्वारा की गयी थी। अपरहार्य कारणों से उक्त आदेश में आंशिक संशोधन निम्नवत किया जाता है:-

क्र0 सं0	ग्राम का नाम	टैक्नीकल सुपरवाइजर/सुपरवाइजर का नाम व मो0 नं0	सहायक प्रबन्धक का नाम व मो0 नं0	प्रबन्धक का नाम व मो0 नं0
1	उस्मानपुर	श्री शुभम श्रीवास्तव (7838023917)	श्री अनीस (9999491786)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
2	अटटा फतेहपुर	श्री उस्मान (7503008605)	श्री अनीस (9999491786)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
3	दनकौर	श्री प्रशांत भारद्वाज (9761620789)	श्री अनीस (9999491786)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
4	अटटा गुजरान	श्री नितिन (8881777232)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
5	भटटा	श्री निखिल सौनी (9536009021)	श्री अनीस (9999491786)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
6	पर्याकरा	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार (9990305206)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
7	आर0 एण्ड आर0 साइट जेवर बांगर	श्री राजेश (9756011220)	श्री संजय श्रीवास्तव (8700296383)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
8	जेवर खादर	श्री शिवेन्द्र (8700500133)	श्री संजय श्रीवास्तव (8700296383)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)

(Handwritten signature)
4/6

9	अहमदपुर चौरौली	श्री महेश नागर (9756424254)	श्री संजय श्रीवास्तव (8700296383)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
10	तिरथली	श्री मोहन चौहान (9540454023)	श्री आरके0 राय (9410698969)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
11	डेरी गुजरान	श्री विजय कुमार पाटक (9582698625)	श्री अनीस (9999491786)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
12	झाझर	श्री मनोज भाटी (9457369893)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
13	मिर्जापुर	श्री नगेन्द्र शर्मा (9368283522)	श्री संजय श्रीवास्तव (8700296383)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
14	निलौनी	श्री नवीन सिंह (9711237798)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
15	रौनीजा	श्री गोल्डी बंसल (8800184026)	श्री अजय सिंह (7042795922)	श्री लोकेश कुमार (9711206119)
16	पारसौल	श्री निर्भय (9410027009)	श्री अनीस (9999491786)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)
17	गुनपुरा	श्री प्रशांत सक्सेना (9871909518)	श्री अनीस (9999491786)	श्री एम0एन0 तिवारी (7042795938)

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

(सुभाष चन्द्रा)

वरिष्ठ प्रबन्धक (परि0)

प्रतिलिपि :-

1. महाप्रबन्धक (परि0) को सूचनार्थ।
2. उप महाप्रबन्धक (परि0) को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सम्बन्धित टेक्नीकल सुपरवाइजर, सहायक प्रबन्धक एवं प्रबन्धक को अनुपालनार्थ।
4. श्री घनश्याम उपाध्य, प्रतिनिधि व्हीलस ग्लोबल फाउण्डेशन (WGF) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(02/4/2023)
वरिष्ठ प्रबन्धक (परि0)

Annexure - A17



पत्रांक - आई ई ए / वरिष्ठ प्रवर्धक / वर्क सर्किल-6 / 2023 / 1029

दिनांक - 14 / 03 / 2023

To,

Smt. Aakriti Uttam,
Sr. Project Manager, Development Alternatives,
B-32 Tara Crescent, Qutub Institutional Area,
New Delhi-110016

Subject: Rejuvenation of Ponds In Village- Rampur Bangar (Khasra No.91), YEIDA

Re: Request received from Development Alternatives Dt. 01.03.2023 requesting NOC for rejuvenation of Ponds in Village- Rampur Bangar (Khasra No.91)

Dear Ma'am,

In Consideration of the aforementioned letter received from you YEIDA has noted the following.

1. That "Development Alternatives" has proposed to carry out restoration work of Ponds in Village-Rampur Bangar (Khasra-91) through CSR funding received from HCL foundation
2. The restoration will include clearing of solid waste and aquatic weeds from the pond, Dewatering, Desilting and safe disposal of silt, ensuring ground water percolation, bunding of pond, establishment of Nature Based Treatment System to ensure treatment of drain water before entering the pond. Protection of pond from encroachment through fencing, plantation and furniture for public leisure.
3. The proposed activity will not incur any expenses to YEIDA.
4. The proposed activity is taken up in good will of environment and public health

YEIDA hereby provides "Development Alternatives" with a No Objection Certificate for carrying out the restoration works proposed. The restoration works shall be carried out through Nature flased Tree Methods only. GNIDA hereby also directs you to carry out all necessary allied works to ensure sustainable and low-cast maintenance of the pond in future Development Alternatives shall certify quality of water in the pond before and after restoration is carried put through sample testing conducted in NABL accredited labs.

The restoration shall be completed within 4 months from the date of this NOC, Development Alternatives shall carry out Maintenance activities for one year after completion of restoration YEIDA staff shall be give training for the upkeep of the restored pond before handover.

The restoration work shall not cause any environmental, social or public health issues. All waste generated due to the activity shall be handled in an environmentally safe manner. This NOC does not grant ownership rights of the pond to Development Alternatives, it's associates or it's CSR Partner

It is agreed that Development Alternatives Shall be bound by any directions and or suggestions as may be made by NOC and or YEIDA in compliance of NGT order directions, without any demur or reservation.


(A.K. Singh)
Dy. General Manger (Proj.)

Copy to:-

1. Additional Chief Executive Officer (M) for information.
2. G.M. (Proj.) for information.
3. Sr. Manager (WC-6) for information and necessary action.


Dy. General Manger (Proj.)

Yamuna Expressway Industrial Development Authority

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
द्वितीय मं. कार्यालय कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-पी0-2, रोड नं०-1, चंदर नोएडा सिटी 201308 जिला-गौतमबुद्ध नगर (Noida)
दूरभाष 0120-2395261, फॅक्स 0120-2395160 website:-www.yamunaexpresswayauthority.com

Annexure - A18



पत्रांक - वाईईए / वरिष्ठ प्रबंधक / वर्क सर्किल-6/2023/1109

दिनांक - 06/04/2023

To,

Sh. Alok Pandey,
Project Head,
Green Yatra Trust
308, Eco Star, Vishveshwar Nagar Rd
Churi Wadi, Goregaon (E) Mumbai

Subject: Rejuvenation of Ponds in Village- Dhanori (Khasra No.636), YEIDA
Re: Request received from Green Yatra Trust (Diary No.191922) Dt. 22.12.2022 requesting
NOC for rejuvenation of Ponds in Village- Dhanori (Khasra No.636)

Dear Sir,

In Consideration of the aforementioned letter received from you YEIDA has noted the following.

1. That "Green Yatra Trust" has proposed to carry out restoration work of Ponds in Village- Dhanori (Khasra-636) through CSR funding received from HCL foundation
2. The restoration will include clearing of solid waste and aquatic weeds from the pond, Dewatering, Desilting and safe disposal of silt, ensuring ground water percolation, bunding of pond, establishment of Nature Based Treatment System to ensure treatment of drain water before entering the pond. Protection of pond from encroachment through fencing, plantation and furniture for public leisure.
3. The proposed activity will not incur any expenses to YEIDA.
4. The proposed activity is taken up in good will of environment and public health.

YEIDA hereby provides "Green Yatra Trust" with a No Objection Certificate for carrying out the restoration works proposed. The restoration works shall be carried out through Nature flased Tree Methods only. YEIDA hereby also directs you to carry out all necessary allied works to ensure sustainable and low-cast maintenance of the pond in future "Green Yatra Trust" shall certify quality of water in the pond before and after restoration is carried put through sample testing conducted in NABL accredited labs.

The restoration shall be completed within Four months from the date of this NOC, "Green Yatra Trust" shall carry out Maintenance activities for one year after completion of restoration YEIDA staff shall be give training for the upkeep of the restored pond before handover.

The restoration work shall not cause any environmental, social or public health issues. All waste generated due to the activity shall be handled in an environmentally safe manner. This NOC does not grant ownership rights of the pond to "Green Yatra Trust", it's associates or it's CSR Partner

"Green Yatra Trust" Shall be bound by any directions and or suggestions as may be mady by NOC and or YEIDA in compliance of NGT order directions, without any demur or reservation.

(A.K. Singh)
Dy. General Manger (Proj.)

Copy to -

1. Additional Chief Executive Officer (M) for information.
2. G.M. (Proj.) for information.
3. Sr. Manager (WC-6) for information and necessary action.

Dy. General Manger (Proj.)

Yamuna Expressway Industrial Development Authority

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
द्वितीय मंज. जर्मिनिडल कॉम्प्लेक्स, प्लॉट-पी0-2, सेक्टर आमेगा-1, गेट नं. 1, शिवा 201300, जिला-गौतमबुद्ध नगर (9090)
दूरभाष 0120-2395201 फिक्स 0120-2395160 website -www.yamunaexpresswayauthority.com

Annexure - A19

कार्यालय पत्रांक 2666 / 18-1 दिनांक 23-11-2022।
जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर
कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत रागरत जनपदों में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-757/14-4-2009 दिनांक 25.मार्च 2009 द्वारा जिला स्तरीय रागिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय वेटलैण्ड समिति के सदस्यगण निम्नवत हैं:-

(क) जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष।
(ख) जिला कृषि अधिकारी	-	सदस्य।
(ग) अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग	-	सदस्य।
(घ) मत्स्य अधिकारी	-	सदस्य।
(च) प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक	-	सदस्य सचिव।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के निर्देश के क्रम जनपद में वेटलैण्ड के सर्वे, चिन्हांकन, संरक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) उपयोग हेतु में जिला स्तर पर वेटलैण्ड समिति के पुर्नगठन की आवश्यकता है। अतः समिति के उक्त सदस्यों के साथ-साथ समिति में निम्न अधिकारियों को भी सम्मिलित करने के आदेश निर्गत किये जाते हैं:-

(क) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना द्वारा अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से अभिन्न नामित अधिकारी	-	सदस्य।
(ख) मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(ग) अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(घ) समस्त उप जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।
(ङ) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नोएडा	-	सदस्य।
(च) क्षेत्राधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा	-	सदस्य।
(छ) जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर	-	सदस्य।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2666 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 के अनुपालन में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा ओ0एस0डी0 से अभिन्न अधिकारियों को नामित करते हुए उनके नाम, पदनाम तथा मोबाईल न0 सूचित करने की कृपा करें।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक 2666 / दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव जिला वेटलैण्ड समिति।
3. समस्त सदस्यगण जिला वेटलैण्ड समिति।

जिलाधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Annexure - A20

-:कार्यवृत्त:-

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध के निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में दिनांक 09-12-2022 को श्री सुहास एल0वाई जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में जिला वेटलैण्ड समिति की बैठक आहुत की गयी। बैठक में श्री प्रमोद कुमार, प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, श्रीमती वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी, वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर तथा समिति के अन्य सदस्यो द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया। प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया गया।

प्रभागीय वनाधिकारी, /सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में स्थित तालाबों, झीलो, एवं वेटलैण्डस के पुनर्जीवन हेतु कार्ययोजना उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्धनगर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय के विभिन्न पत्रों के माध्यम से निर्देशित किया गया था किन्तु वांछित कार्ययोजना उपलब्ध नहीं करायी गयी। बैठक में समिति अध्यक्ष द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।

1. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 325/2015 लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वदमन सिंह ओबराय प्रति यूनितयन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनांक 01-06-2020 के अनुपालन में **Water Bodies** के पुनर्जीवन हेतु कार्य योजनाय तैयार किये जाने के संबंध मे निर्देश प्राप्त हुए थे जिसके क्रम में प्रपत्र-2 में सूचना प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर कार्यालय में उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित थी। इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 177/2022, अभीष्ट कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12-10-2022 में जनपद में स्थित तालाबों की संख्या निम्न प्रकार अंकित की गयी है।

जनपद में स्थित तालाबों की संख्या का विवरण										
क्र0	नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	यमुना प्राधिकरण	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	नगर निकाय	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना	ग्राम पंचायत	प्रपत्र-2 में प्राप्त सूचना
1	67	0	281	107	277	0	32	0	361	249

बैठक में निर्देश दिये गये कि समस्त तालाबों की सूचना प्रपत्र-2 में एक सप्ताह के अन्दर प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)

2. पूर्व बैठक में विगत वर्षों की वर्षवार गूगल इमेज निकलवाने हेतु निर्देश दिये गये थे किन्तु वांछित कार्यवाही नहीं की गयी निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उप जिलाधिकारी)

3. बैठक में उपस्थित नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारी को निर्देश दिये गये कि तालाबों की संख्या एवं उनके पुनर्ग्रहित की स्थिति स्पष्ट करने तथा उपजिलाधिकारी दादरी से सम्पर्क कर तालाबों की स्थिति में कोई भिन्नता न रहे यह सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(समस्त प्राधिकरण)

4. बैठक में ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की समीक्षा करने पर यह बिन्दु प्रकाश में आया कि तालाबों की संख्या उप जिलाधिकारी की रिपोर्ट से भिन्न है। निर्देश दिये गये कि औद्योगिक अधिनियम की धारा-10, अन्य विधि सम्मत नियमों तथा आदेशों के क्रम में अतिक्रमित तालाबों यथा शीघ्र संयुक्त अभियान चालकर खाली कराने की कार्यवाही कर वांछित सूचना उपलब्ध करायी जाये साथ संबंधित उप जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर यह सुनिश्चित किया जाये कि तालाबों की संख्या में कोई भिन्नता न रहे।

(कार्यवाही ग्रेटर नोएडा/यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण/उपजिलाधिकारी जेवर)

5. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबों सुदृढीकरण करने के संबंध में कार्य किये गये हैं। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)
6. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप								
क0सं0	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या / स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	
1	2	3	4	5	6			

7. तालाबों में निहित गाटा संख्या का विवरण दिया जाये तथा इसका भौतिक सत्यापन एक सप्ताह के अन्दर कराया जाये।

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)
(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण)

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

कार्यालय

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक: 2000/10-1, दिनांक

गौतमबुद्धनगर

2022।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें—

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा आद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक

2000/10-1

दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी गौतमबुद्धनगर
2. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर
4. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

प्राधिकरण एवं यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण अथवा भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन 'औद्योगिक विकास क्षेत्रान्तर्गत घोषित कोई औद्योगिक नगरी सम्मिलित होंगे।' धारा-59 के अनुसार तालाबों के चिन्हांकन, संवर्धन, सर्वेक्षण एवं चिरन्तर (सस्टेनेबुल) कार्य सम्बन्धित प्राधिकरण एवं नगर निकाय द्वारा किया जायेगा।

- (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, एवं जिला पंचायतराज अधिकारी गौतमबुद्धनगर, नगरपालिका/समस्त नगर पंचायत)
5. बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि जो तालाब विकास कार्य के कारण नष्ट हो गये हैं अथवा जिनमें अतिक्रमण हो चुका है उन तालाबों को Mitigation में शामिल करने की कार्यवाही की जाये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी)
6. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में तालाबों को सूचीबद्ध करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। डिविजन-1 में 15 तालाबों में से 05 में कार्य प्रारम्भ हो चुका है शेष में टेण्डर की कार्यवाही की जा रही है। समिति अध्यक्ष द्वारा निर्देश दिये गये कि संबंधित अधिकारियों की उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, महोदय की अध्यक्षता में पृथक से एक बैठक आयोजित करने की कार्यवाही जाये।
- (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी)
7. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्षों में जनपद में तालाबों सुदृढीकरण करने के सम्बन्ध में कार्य किये गये हैं। उन तालाबों को सूचीबद्ध कर मय फोटोग्राफ के उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये। (कार्यवाही समस्त प्राधिकरण, समस्त उपजिलाधिकारी)
8. धारा-67 के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही की अध्याविधिक स्थिति से आगामी बैठक में अवगत कराया जाये। (कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी)
9. जनपद में स्थित 2.25 हेक्टर एवं उससे अधिक क्षेत्रफल की सूचना भी प्राथमिकता के आधार निर्धारित प्रपत्र में प्रभागीय वनाधिकारी, कार्यालय में उपलब्ध करायी जाये।

प्रारूप

क्र० सं०	तहसील का नाम	विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	गाटा संख्या/स्वामित्व	वर्तमान स्थिति	गूगल इमेज	भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम/पदनाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(कार्यवाही समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त प्राधिकरण, समस्त नगरपालिका, नगर पंचायत) बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

कार्यालय

जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:

5056

19.1.

दिनांक

गौतमबुद्धनगर

22-3-2023।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया संबंधितों को यथोचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,

जिला वेटलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर

पत्रांक _____ / _____ , दिनांकित ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. अपर जिलाधिकारी वित्त/राजस्व गौतमबुद्धनगर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी/सदस्य सचिव गौतमबुद्धनगर।
3. उपजिलाधिकारी दादरी/सदर/जेवर।
4. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नोएडा।
5. क्षेत्राधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ग्रेटर नोएडा।
6. जिला पंचायत राज अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
7. अधिशासी अभियंता, भूगर्भ जल विभाग, गौतमबुद्धनगर।
8. अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, गौतमबुद्धनगर।

21/05/24
 जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
 जिला वेदलैण्ड समिति गौतमबुद्धनगर